अहले सुन्नत व जमात के अक़ाइद का सबूत
कुरआन, अहादीस और **अक़्वाले बुज़ुर्गाने दीन** की रौशनी में

सुन्नी अक़ाइद

मुसन्निफ़

अल्लामा मुफ्ति फ़ैज़ अहमद ओवैसी

मुतरज्जिम : सूफ़ी अनवर रज़ा खान क़ादरी

GKA Digital PUBLISHER

किताब नाम	:	सुन्नी अक़ाइद
मुसन्निफ़	:	अल्लामा मुफ्ती फैज़ अहमद ओवैसी
भाषाः	:	हिन्दी
मुतरर्जिम	:	सूफ़ी अनवर रज़ा खान क़ादरी
कैटेगरी	:	अक़ाइद
कंपोज़िंग और डिज़ाइनिंगः	:	सूफ़ी अनवर रज़ा खान क़ादरी
PDF	:	GKR Digital Publisher
साल	:	मार्च 2025 (रमज़ान 1446 हिजरी)
पेज	:	52

हम्द व सना

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

तमाम तारीफें अल्लाह के लिए

- जो 1 माबूदे हक़ीक़ी है । उसका कोई शरीक नहीं, न ज़ात में, न सिफ़ात में, न अफ़आल (काम) में, न अहकाम में, न अस्मा में
- जिसने अपनी कुदरत से हमे तमाम मख्लूको से सबसे अफ़ज़ल यानी इंसान बनाया
- जिसने अपने फ़ज़लों करम से हमे तमाम उम्मतियो से अफ़ज़ल अपने हबीब के उम्मत यानी मुसलमान बनाया
- जिसने अपने रहमो करम से हमे इस उम्मत के 73 वां फिरका यानी सुन्नी बनाया।
- जिसने दौर के मुताबिक अपने वली हुज़ूर आला हज़रत के जरिये हमे सुन्नियों में अफज़ल यानी बरैलवी बनाया।
- तमाम तारीफें उस ज़ात के लिए है जिसके लिए हम बरैलवी हक़ वालो से महब्बत और बातिल फ़िरकों का रद्द करते है।
- दरूद व सलाम हो उस नबीये करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम पर जिसे तूने अपनी नूर की तजल्ली से बनाया और सारे जहां के लिए रहमत बनाकर हम गुनहगार उम्मतियों का नबी बनाया व सलामती हो असहाब पर और नबी के आल पर और सलामती हो उन तमाम मोमिन मोमिनात पर जिन्होंने तुझे राज़ी किया।

फ़ेहरिस्त मज़ामीन

"अक़ाइद" के मानी 1
दीने इस्लाम के 2 जुज़ 1
1. ईमान / अक़ाइद - दिल से मानने का नाम है 1
2. अमल / इबादात - जिस्म से करने का नाम है 1
अक़ाइद में ख़राबी का अंजाम 1
अक़ाइद दुरूस्त व मज़बूत करो 2
अक़ाइद की अहमियत 3
बहुत सारी बातों पर ईमान व अक़ाइद 3
अक़ाइद-ए-तौहीद 14
अक़ाइदे रिसालत 16
अक़ाइद दरबारे रिसालत माब ﷺ 18
अक़ाइदे ख़िलाफ़त 20
अक़ाइद-ए-विलायत 23
अक़ाइद दरबारे मलाइका-ए-किराम 25
अक़ाइदे बरज़ख़ 26
मुख़्तलिफ़ अक़ाइद व मसाइल: 29
अक़ाइदो मसाइल (मुदल्लल) 31
मुख़्तारे कुल: 32
नबी-ए-करीम मुश्किल कुशा बि इज़्निल्लाह 33
हाज़िरो नाज़िर 34
इस्तेमदाद अज़ अंबिया 35
बे मिस्ल बशरियत 37
नूर मिनल्लाही नूर ﷺ 38
हयातुन नबी ﷺ 40
वसीला 40
बे-साया रसूल ﷺ 42
हदीस से बीस रकात तरावीह का सुबूत 42
ईद मिलादुन नबी ﷺ पर खुशी मनाना 43
अंगूठे चूमना 43
फातिहा का सुबूत 43
अज़ान से पहले दुरूद शरीफ पढ़ना 43
नमाज़ के बाद बुलंद आवाज़ से ज़िक्र करना 44
नमाज़-ए-जनाज़ा के बाद की दुआ 44

कफ़न पर कलिमा-ए-तैय्यिबा लिखना और क़ब्र में अहद नामा रखना 45
क़ब्र पर फूल डालना 45
नज़रो नियाज़ 46
ख़त्म व दुरूद 46
चिराग़ां 47
क़ुब्बा जात बर मज़ारात 47
चिराग़ां बर मज़ारात 48

"अक़ाइद" के मानी

**अक़ीदा* का लुग़वी (शब्दकोश) मानी दिल में जमाया हुआ यक़ीन, ईमान और एतक़ाद है। अक़ीदा की जमा "अक़ाइद" है। मोमिन होने के लिए जिन बातों की दिल से तस्दीक़ (मानना) और ज़बान से इक़रार ज़रूरी है, उन्हें "इस्लामी अक़ाइद" कहा जाता है। अक़ाइद की इस्लाह और दुरुस्तगी के बग़ैर अच्छे से अच्छा अमल भी अल्लाह त'आला की बारगाह में क़ुबूल नहीं होता।*

दीने इस्लाम के 2 जुज़

1. ***ईमान / अक़ाइद* - दिल से मानने का नाम है**
2. ***अमल / इबादात* - जिस्म से करने का नाम है**

जिस तरह इंसान रूह और जिस्म का मजमुआ है और रूह असल है, रूह है तो जिस्म ज़िन्दा है वरना बेकार ठीक उसी तरह इस्लाम अका़इद और अमल का मजमुआ है लेकिन अका़इद असल है, ईमान है तो अमल दरुस्त है वरना बेकार। अका़इद और ईमानी खसलतों का तअल्लुक़ दिल से है जबकि अमल का तअल्लुक जिस्म से है।

कुरआन में कई जगह है : आमनू व आमिलुस्सालिहात"(तर्जमाः ईमान लाओ और नेक अमल करो) इस आयत से पता चला की ईमान और अमल अलग अलग है।

अका़इद में खराबी का अंजा़म

अका़इद में खराबी के वजह से ही इस उम्मत के 72 फिर्के जहन्नमी हुए जबकि आमाल में खाराबी नहीं। अहले सुन्नत व जमात से दूर हुए, बातिल के मुआफिक़ और हक़ के मुखालिफ़ हुए। अकाईद में खा़राबी के वजह से ही उम्मत में इंतिशार व तकरार, नफ़रत व इख्तिलाफ़ हुआ। मुआशरे में तमाम खराबियां, बुराइयाँ और गुमराहियाँ पैदा हुए। मुसीबतों परेशानियों और तरह

तरह के फितनों ने सर उठाया, दुश्मने इस्लाम (कुफ्फार) के हौसले बढ़े, नफ्स और शैतान गालिब हुए, ज़ालिम बादशाह मुसल्लत किये गए, भगवा लव ट्रेप, मोबलीचिंग और यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड जैसे मामले पैदा हुए, आपसी महब्बत खत्म हुई, इस्लामिक मुमालिक के टुकड़े टुकड़े हुए।

तमाम हालात का ईलाज यही है कि ईमान व अकाइ़द को दुरुस्त और मज़बूत किया जाए।

अकाइ़द दुरुस्त व मज़बूत करो

इस रिसाले को पढ़ो, दूसरो को पढ़ाओ और प्रीन्ट करके तकसीम करो ताकि अकाइ़द दुरुस्त और मजबूत हो जाए क्योंकि जन्नत में दाख़ला सिर्फ ईमान व अकाइ़द के जरिए से है न कि अमल। अमल से तो जन्नत मे दर्जात का मिलना है

याद रखो किसी भी इंसान का कोई भी अमल तब क़ुबूल होगा जब इंसान खुद अल्लाह की बारगाह में क़ुबूल हो जाये और इंसान की कुबिलियत ईमान के बदौलत मुमकिन है

याद रहे अमल में बातिल की मिलावट फिस्को फुजूर है लेकिन ईमान व अकाइद में बातिल को मिलावट कुफ्र है

अल्लाह का फ़रमान है (तर्जमा कंज़ुल ईमान) : **“वो जो ईमान लाए और अपने ईमान में किसी नाहक़ (बातिल) चीज़ की आमेज़िश (मिलावट) न की उनहीं के लिये अमान (हिफाज़त) है और वही राह पर हैं।”** (सूरह अनआम, आयत न. 82)

नोट : इस आयत में अमान (हिफाज़त) से मुराद दुनिया व आख़िरत में अल्लाह का आजा़ब से हिफाज़त।

अल्लाह का फ़रमान है (तर्जमा कंज़ुल ईमान) : **“बेशक जो ईमान लाए और नेक अमल किये उनका रब उनके ईमान के सबब उन्हें राह देगा”।** (सूरह युनुस, आयत नं. 9)

नोट : इस आयत में साफ साफ फरमा दिया है कि ईमान के सबब राह देगा न कि अमाल के सबब

अक़ाइद की अहमियत

हुज़ूर दाता गंज बख़्स हजवेरी की किताब, कशफ़ुल महजूब जो तसव्वुफ़ की किताब है इसके तीसरा कश्फ मे अक़ाइद की अहमियत को तफसील से लिखते है : ***"अज़ाबे इलाही से महफ़ूज़ रहने का ज़रिया ईमान है न कि अमल? अगरचे अमल भी शामिल हो। जब तक ईमान व अक़ीदा न हो तो अमल फायदा नहीं पहुंचाता। लेकिन जब ईमान मौजूद हो अगरचे नेक अमल मौजूद न हो तो आख़िर में वह निजात पायेगा अगरचे यह बात मुसल्लम है कि निजात यानी बख्शिश अल्लाह के हुक़्म से ही होगी। अगर अल्लाह चाहे तो वह अपने फ़ज़्ल से दरगुज़र फ़रमाये या हुज़ूरे अकरम ﷺ की शफाअत से बख़्श दे या चाहे तो उसके जुर्म के मुताबिक सज़ा दे और दोज़ख में भेज दे फिर सजा काटने के बाद बंदे को जन्नत में डाल दे। लिहाज़ा दुरुस्त ईमान व अक़ीदा वाला अगरचे अमली तौर से मुजरिम (यानी सहीहूल अकीद़ा सुन्नी अवाम या फासिक़ फाजिर उल्मा) हो तो हमेशा दोजख में न रहेगा और वोह अमल करने वाले जो वे बेईमान या बदअकीदा हैं जन्नत में नहीं जायेंगे। इससे मालूम हुआ कि अमल महफ़ूज़ रहने का अस्ल ज़रिया नहीं है। हुज़ूर अकरम ﷺका इरशाद है कि-***

"तुम में से कोई भी अपने जाहिरी अमल की वजह से हरगिज़ निजात नहीं पायेगा।" *(काशफ़ुल महज़ूब, पेज 387, हिन्दी)*

बहुत सारी बातों पर ईमान व अक़ाइद

मीर सैय्यद अब्दुल वाहिद बिल ग्रामी लिखते हैं "ऐ सच्चे सुन्नी तुझे बहुत सी बातों पर भी ईमान लाना जरूरी है इसलिए कि अल्लाह तआला को तू देख नहीं सकता। और फरिश्ते न तुझे महसूस हैं न वह तेरी नजर में

समाए हुए और तमाम नबियों और रसूलों ने पर्दा फ़रमाया और रहमत की आराम गाहों में आराम कर रहे हैं और आख़िरत की तमाम बातें और क्यामत की हालतें आने वाली चीजें है लिहाजा तू इन सब पर बे देखे ईमान ला" जो इल्मे जाहिर व बातिन से मुमकिन है इस इल्म को पाने की चाहत रख ताकी अल्लाह तुझे उस लायक बनाये। (सबअ सनाबिल शरीफ़, सुंबुला I, पेज 37)

यहाँ तक जो आपने पढ़ा ये मुतर्रजिम के तरफ से है आगे असल किताब की शुरुआत

सूफ़ी अनवर रज़ा ख़ान क़ादरी

Writer I Translator I Creator I Designer I Composer

राँची, झारखण्ड (इण्डिया)

बानी : ग़ौसो ख़्वाजा व रज़ा ट्रस्ट

www.ghausokhwajaorazatrust.com

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

الحمدللهوحدهوالصلوةوالسلامعليمنلانبيبعده

اما بعد

आख़िरत में नजात (कामयाबी) सिर्फ और सिर्फ अक़ाइदे सहीहा से होगी, आमाले सालेहा (नेक अमल) न भी हों तब भी अक़ाइदे सहीहा की वजह से नजात (कामयाबी) मुमकिन है, अगर अक़ीदा में गड़बड़ होगी तो आमाले सालेहा (नेकी) पहाड़ों के बराबर हों तब भी काम न आएंगे। इसकी तफ़्सील व तहक़ीक़ फ़क़ीर ने किताब "नजात (कामयाबी) का मदार अक़ाइदे सहीहा पर" में कर दी है, यहां सिर्फ एक हदीस शरीफ़ पर इक्तेफ़ा (काफ़ी समझ कर ख़त्म) करता हूं।

सैय्यदुना अबू हुरैरा रदियल्लाहु त'आला अन्हु फ़रमाते हैं, हम जंग-ए-हुनैन में थे कि सैय्यदे आलम ﷺ ने एक कलिमा गो (कलिमा पढ़ने वाला) शख्स के मुताल्लिक (संबंध में) फ़रमाया कि ये दोज़खी है। और जब जंग शुरू हुई तो वो शख्स काफिरों से खूब लड़ा और खूब जौहर दिखाया। ये मंज़र देखकर एक सहाबी ने दरबारे रिसालत में हाज़िर होकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह! जिस शख्स के मुताल्लिक आपने फ़रमाया कि ये दोज़खी है, वो तो इस्लाम की तरफ से काफिरों के साथ खूब लड़ रहा है, यहां तक कि वो ज़ख्मों से चूर हो चुका है। ये सुनकर फ़रमाया: हां! ख़बरदार! बेशक वो दोज़खी है।

रसूलुल्लाह ﷺ का ये इरशाद सुनकर क़रीब था कि कुछ लोग शक्को शुबहा में मुब्तला हो जाते। इसी अस्ना (वक़्त) में शख्स-ए-मज़कूर (जिस शख़्स का किया गया) को जब ज़ख्मों की तकलीफ ज़्यादा हुई तो उसने

खुदकुशी कर ली और हराम मौत मर गया। [अक़ीदा : खुद अगर किसी कलिमा गो मुसलमान ने बदबख़्ती से खुदकुशी की तो वो काफ़िर नहीं, फासिक व फाजिर है। अगर वो खुदकुशी की वजह से जहन्नम में जाए तब भी काफिरों की तरह दाइमी (हमेशा) तौर पर जहन्नम में न रहेगा, उसकी नजात मुमकिन है। इसलिए खुदकुशी करने वाले की नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जाए, लेकिन कोई आम ग़ैर मारूफ नमाज़ पढ़े तो खुदकुशी करने वालों की हौसला शिकनी हो। जिसका ज़िक्र हदीस शरीफ में है वो मुनाफिक काफिर था, इसलिए उस पर दूसरे मुसलमान खुदकुशी करने वालों का क़ियास न किया जाए - ओवैसी] ये देखकर लोग डरे और दरबारे रिसालत में हाज़िर होकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह ﷺ! बेशक अल्लाह त'आला ने आपकी बात को दुरुस्त साबित कर दिया। ये सुनकर हुज़ूर ने फ़रमाया:

يا بلال قم فأذن لا يدخل الجنة الا المومن وان الله ليويد هذا الدين بارجل الفاجر

(صحیح بخاری، کتاب القدر)

(तर्जमा) : अये बिलाल उठ और एलान कर दे कि जन्नत में वही जा सकता है जो ईमान वाला हो और अल्लाह त'आला दीन की इमदाद व ताईद (सपोर्ट/हिमायत) फासिक व फाजिर से भी करा देता है।(सहीह बुखारी, किताब अल-क़द्र)

इस हदीस-ए-पाक से भी साबित हुआ कि हर कलिमा गो (कलिमा पढ़ने वाला) जन्नत का हक़दार नहीं है, बल्कि जन्नत का हक़दार वही है जिसका अक़ीदा सहीह हो।

याद रहे कि ये शख्स जो जंग में खूब लड़कर मरा, ये दर असल मुनाफिक था (अयनी व फत्हुल बारी) ।

इसलिए जहन्नम का इंधन बना, अगरचे जिहाद जैसी अफ़ज़लुल इबादत करते मरा, लेकिन चूंकि मुनाफिक था इसलिए जहन्नम रसीद हुआ।

अक़ाइदे सहीह की तलाश: लेकिन सवाल पैदा होता है कि अक़ाइदे सहीह की तलाश कैसे और कहां? जबकि दौरे हाज़िर में बहुत बड़ा हुजूम मज़ाहिबे इस्लाम (बातिल फिर्क़ों) की बोहतात (कसरत) है। तो इसके लिए अर्ज़ है कि बातिल फिर्क़ों की बोहतात भी दर हक़ीक़त हमारे नबी-ए-पाक, शाहे लौलाक का मोजिज़ा है, जिसकी सदियों पहले आपने ग़ैबी ख़बर दी थी। और

इसके साथ ही ये तसरीह (वज़ाहत) भी फरमाई कि इन मज़ाहिब में हक़ और सहीह मज़हब कौन सा है? चुनांचे हदीस-ए-पाक मुलाहिज़ा हो, हुज़ूर ﷺ ने इरशाद फ़रमाया कि:

إن بني إسرائيل تفرَّقت على ثِنْتين وسبعينَ مِلَّة، وتفترق أمتي على ثلاثٍ وسبعين مِلَّة، كلُّهم في النار إلا ملَّة واحدة»، قالوا: ومَن هي يا رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي.

(سنن الترمذی، کتاب الایمان، 5/26، الحدیث:2641)

यानी बेशक बनी इस्राईल के 72 फ़िर्क़े हो गए थे और मेरी उम्मत के 73 गिरोह हो जाएंगे, जिनमें से 72 गिरोह दोज़खी होंगे और एक जन्नती होगा। सहाबा-ए-किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह ﷺ! वो एक यानी जन्नती गिरोह कौन है? फ़रमाया: जन्नती गिरोह वो है जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीक़े पर होगा। *(सुनन अत-तिर्मिज़ी, किताब अल-ईमान, 26/5, हदीस: 2641)*

फायदा: हदीस शरीफ में 73 फिर्क़ों का ज़िक्र फरमाकर साफ़ लफ़्ज़ों में बताया कि इनमें से एक फिर्क़ा नजात (कामयाब) याफ़्ता होगा। उस फिर्क़े का नाम अहले सुन्नत व जमाअत है। यही फिर्क़ा हक़ पर है, बाक़ी तमाम फिर्क़े गुमराह व जहन्नमी हैं। चुनांचे पीराने पीर दस्तगीर हुज़ूर गौसुल आज़म जीलानी कुद्दिसा सिर्रुहु ने इन 73 फिर्क़ों की तक़्सीम यूं फरमाई, इन 73 फिर्क़ों के असल 10 फिर्क़े हैं:

1. अहले सुन्नत
2. ख़वारिज
3. शिया
4. मोताज़िला
5. मर्जिया
6. मुशब्बह
7. जहमिया
8. ज़रारिया
9. नजारिया
10. किलाबिया

पस अहले सुन्नत का एक ही फ़िर्क़ा है और ख़ारिजियों के 15 फ़िर्क़े हैं, मोताज़िला के 6, मर्जिया के 12, शिया के 32 फ़िर्क़े हैं, जिनकी नबी-ए-ग़ैब दान ने ख़बर दी है।

امّا الفرقة الناجية فى اهل السنة والجماعة

غنية الطالبين، ص 192

यानी, और लेकिन नजात (कामयाबी) पाने वाला फ़िर्क़ा (नाज़िया) अहले सुन्नत व जमाअत है। *(ग़नीयतुततालिबीन, पेज 192)*

शैखुल मुहद्दिसीन, शैख अब्दुल हक़ मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमा 73 फ़िर्क़ों की तक़्सीम इस तरह करते हैं: मोताज़िला, शिया, ख़वारिज, मर्सिया, नजारिया, जबरिया, मुशब्बह और नाज़िया।

بعد ازاں معتزله را بیست فرقه ساختند و شیعه را بیست دو و خوارج بیست و مرجیه را پنج و نجاریه راسه و جبریه و مشبه را تفریق نکرده و فرقه ناجیه اہل سنت و جماعت اند و مجموع ہفتاد و سه فرقه شد

यानी इसके बाद मोताज़िला से 20 फ़िर्क़े और शिया से 22, ख़वारिज से 20, मर्जिया से 5, नजारिया से 3, जबरिया और मुशब्बह से कोई फ़िर्क़ा नहीं और नाज़ी (नजात (कामयाबी) पाने वाला) फ़िर्क़ा अहले सुन्नत व जमाअत है। *(अश्अतुल लम्आत फारसी, 1/140)*

इससे साबित हुआ कि ता क़यामत कितने ही फ़िर्क़े बढ़ते चले जाएं, हक़्क़ानियत और हिदायत अहले सुन्नत के पास ही रहेगी। फ़क़ीर ने इस मौज़ू पर एक मुस्तक़िल किताब लिखी है बानाम "अश्शफ़ीयत फिल फ़िर्क़तिन नाज़ियत"। इससे तलख़ीस (खुलासा) करके चंद हवालेजात पेश करता हूं।

1. हज़रत शैख अबू शकूर सालमी मुआसिरे सैय्यदुना दाता गंज बख़्श लाहौर कुद्दिसा सिर्रुहु ने फ़रमाया:

“नबी-ए-करीम ﷺ से मरवी है कि मेरी बाद मेरी उम्मत के 73 गिरोह हो जाएंगे, एक के सिवा सब के सब दोज़खी होंगे और वो एक गिरोह अहले सुन्नत व जमाअत है।” *(तम्हीद अबू शकूर सालमी, सफ़ा 83)*

2. हज़रत मुल्ला अली क़ारी इस हदीस को बयान करके फ़रमाते हैं कि इस बात में कोई शक नहीं कि अहले सुन्नत व जमाअत ही जन्नती गिरोह है। *(मिरक़ातुल मफातीह, 1/259)*

3. इमामे रब्बानी मुजद्दिदे अल्फे सानी अलैहिर्रहमा फ़रमाते हैं कि हर ज़ी-ए-अक़्ल पर सबसे पहले फ़र्ज़ ये है कि अपने अक़ाइद **अहले सुन्नत व जमाअत** के एतिक़ादात के मुवाफिक रखे, क्योंकि आख़िरत में नजात (कामयाबी) पाने वाला यही गिरोह है। *(दफ़्तर अव्वल, मकतूब 266)*

4. हज़रत इमामे रब्बानी मुजद्दिदे अल्फे सानी कुद्दिसा सिर्रुहु ने फ़रमाया: हासिल-ए-कलाम ये है कि नजात (कामयाबी) का रास्ता अक़्वाल में, अफ़आल (काम) में, उसूल में, फुरू में अहले सुन्नत व जमाअत के साथ मुताबिक़त रखता है, क्योंकि यही जन्नती गिरोह है और अहले सुन्नत व जमाअत के सिवा जितने गिरोह हैं वो हलाकत के किनारे पर हैं। आज इसे कोई जाने या न जाने, लेकिन कल क़यामत के दिन हर शख़्स जान लेगा, मगर उस वक़्त का जान लेना काम न आएगा। या अल्लाह हमें बेदार कर, इससे पहले कि मौत हमें बेदार करे। *(मकतूब नंबर 24, जिल्द अव्वल)*

5. इमामे रब्बानी मुजद्दिदे अल्फे सानी कुद्दिसा सिर्रुहु ने फ़रमाया कि शैख (पीर) अपने मुरीद को इस बात की नसीहत करे कि अक़ाइद को नजात (कामयाबी) पाने वाले गिरोह यानी अहले सुन्नत व जमाअत की राय के मुवाफिक सहीह करे और इस बात की तकीद करे कि वो फ़िक़्ह के ज़रूरी अहकाम (हुक्म) सीखकर उन पर अमल करे, क्योंकि इस राह में बग़ैर इन दो बाज़ुओं यानी एतिक़ाद व अमल के उड़ना मुहाल (नामुमकिन) है। *(मुबाद औ मियाद, सफ़ा 9)*

6. नीज़ हज़रत मुजद्दिदे अल्फे सानी फ़रमाते हैं: असल मक़सद ये है कि हमें अक़ाइदे अहले सुन्नत व जमाअत अता हुए हैं। इस दौलत के होते हुए अगर हमें अहवाल व मवाजेद (कैफ़ियत-ए-ज़ौक़ो शौक़) अता किए जाएं तो ये अल्लाह त'आला का एहसान है और अगर ये अहवाल व मवाजेद न भी मिलें तो हम अक़ाइदे अहले सुन्नत व जमाअत को काफ़ी जानते हैं, क्योंकि जब ये दौलत है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं, क्योंकि वो

अहवाल या मवाजेद जो बग़ैर अक़ीदा-ए-अहले सुन्नत के हों, हम उसे इस्तिदराज और सरासर ख़राबी जानते हैं। *(मकतूब नंबर 67, जिल्द 2)*

7. सैय्यदुना इमामे रब्बानी मुजद्दिदे अल्फे सानी ने फ़रमाया: तक़्वा के लिए अहले सुन्नत व जमाअत के मुताबिक़ अक़ाइद रखने के सिवा चारा नहीं, ताकि आख़िरत की कामयाबी और नजात (कामयाबी) हासिल हो और अहले सुन्नत व जमाअत के खिलाफ़ अक़ीदा रखना ज़हरे क़ातिल है, जो कि हमेशा की मौत और दाइमी (हमेशा) अज़ाब का सबब है। अमल में कुताही हो तो नजात (कामयाबी) की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन अगर अक़ीदे में ख़राबी हो तो बख़्शिश की गुंजाइश ही नहीं रहती। *(मकतूब नंबर 17, जिल्द 2)*

8. सैय्यदुना इमामे रब्बानी मुजद्दिदे अल्फे सानी ने फ़रमाया: अक़्लमंदों पर फ़र्ज़ है कि सबसे पहले अपना अक़ीदा अहले सुन्नत व जमाअत के मुताबिक़ करे और यही गिरोह जन्नती है। *(मकतूब नंबर 266, जिल्द 1)*

9. सैय्यदुना इमामे रब्बानी मुजद्दिदे अल्फे सानी ने फ़रमाया: **"शरीअत के दो जुज़ हैं, अक़ीदा और अमल। अक़ाइद दीन के उसूल हैं और अमल फ़रा, जिसके अक़ाइद दुरुस्त नहीं, वो नजात (कामयाबी) नहीं पा सकता और उसके लिए अज़ाबे इलाही से नजात (कामयाबी) का तसव्वुर भी नहीं हो सकता, मगर जिसके अक़ाइद दुरुस्त हों और आमाले सलीहा (नेक आमाल) न हों, तो नजात (कामयाबी) की उम्मीद की जा सकती है।"** *(मकतूब नंबर 17, जिल्द 3)*

10. सैय्यदी व सनदी मुजद्दिदे अल्फे सानी ने फ़रमाया कि अहले सुन्नत व जमाअत, जो नजात (कामयाबी) पाने वाली जमाअत है, इसकी पैरवी किए बग़ैर नजात (कामयाबी) का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। अगर बाल बराबर भी इनकी मुख़ालफ़त हुई तो ख़तरा ही ख़तरा है और ये बात कश्फ़े सहीह से भी यक़ीन के दर्जे तक पहुंच चुकी है, इसलिए इसमें ग़लती का एहतिमाल नहीं है। पस ख़ुशनसीब हैं वो लोग जिन को अहले सुन्नत व जमाअत की पैरवी की तौफ़ीक़ मिली और उन की... तक़लीद का शर्फ़ हासिल हुआ और हलाकत है उन लोगों के लिए जो अहले सुन्नत व जमाअत के खिलाफ़ चले और उनसे मुंह मोड़ा और

उनकी जमाअत से निकल गए और खुद भी गुमराह हुए और दूसरों को भी गुमराह करते हैं। *(मकतूब नंबर 59, जिल्द 2)*

11. सैय्यदुना इमामे रब्बानी बरगाहे इलाही में दुआ करते हैं:

“या अल्लाह त‘आला! हमें अहले सुन्नत व जमाअत के अक़ाइद पर साबित रख और इन्ही के गिरोह में हमें मार और इन्ही के साथ हमारा हश्र फरमा।” *(मकतूब नंबर 76, जिल्द 2)*

12. हज़रत अल्लामा तहतावी रहमतुल्लाहि अलैह फ़रमाते हैं:

‘’अये ईमान वालो! तुम पर लाज़िम है कि जन्नती गिरोह, जिसका नाम अहले सुन्नत व जमाअत है, के साथ वाबस्ता रहो, क्योंकि अल्लाह त‘आला की मदद व हिफ़ाज़त और उसकी तौफ़ीक़ इस जमाअत के साथ वाबस्ता रहने में है और अहले सुन्नत व जमाअत की मुख़ालफ़त में अल्लाह त‘आला की नाराज़गी है और मुख़ालफ़त करने वालों को अल्लाह त‘आला गुमराही में छोड़ देता है।” *(हाशिया तहतावी अला दुर्रे मुख़्तार, 4/153)*

13. क़ुत्बे ज़मां, हज़रत ख़्वाजा याक़ूब चरख़ी रहमतुल्लाहि त‘आला अलैह ने फ़रमाया:

"वाज़ेह हो कि ख़्वाजा ख़िज़्र और ख़्वाजा इल्यास अलैहिमस्सलाम और सब के सब औलिया-ए-किराम हाज़िरो ग़ाइब मज़हबे अहले सुन्नत व जमाअत पर हैं।" *(रिसाला-ए-अब्दालिया, सफ़ा 30)*

14. हज़रत ख़्वाजा मुहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली, साहिबे दलाइलुल ख़ैरात बरगाहे इलाही में दुआ करते हैं:

“अये अल्लाह! हमें मसलके अहले सुन्नत व जमाअत और अपनी लिक़ा (दीदार) के शौक़ पर मौत दे, या ज़ल्जलाली वल इकराम।” (दलाइलुल ख़ैरात, सफ़ा 28)

15. आरिफ बिल्लाह शैख इस्माईल हक़्क़ी रहमतुल्लाहि अलैह तफ़्सीर रूहुल बयान में फ़रमाते हैं:

"हमारे शैखे मुहतरम, पीरो मुरशिद रूहुल्लाह रूहा ने अपने विसाल से एक दिन पहले अपने मुतवस्सिलीन मुरीदीन को बुला कर फ़रमाया: सुन लो कि मेरे पास दुनिया का कोई माल नहीं है कि मैं इसके मुताल्लिक कोई वसीयत करूं, लेकिन मैं (शरीअत व तरीक़त मारिफ़त व हक़ीक़त हर एतबार से) अहले सुन्नत व जमाअत के मज़हब पर हूं, मुझे ऐसे ही पहचानो और मेरे लिए दुनिया व आख़िरत में इसी बात के गवाह हो जाओ, बस यही मेरी वसीयत है।" *(तफ़्सीर रूहुल बयान, 5/101)*

16. शैखुल इस्लाम हज़रत ख़्वाजा बहाउल हक़ ज़करिया मुल्तानी कुद्दिसा सिर्रुहु ने फ़रमाया:

"जो मेरे सिलसिले में शामिल होंगे, वो सब के सब मेरी ज़मानत में हैं और फ़रमाया: सिलसिला से मुराद क़ुरआनो सुन्नत की पैरवी, अक़्वाले मुज्तहिदीन, इज्मा-ए-सहाबा-ए-किराम और अहले सुन्नत व जमाअत की पैरवी है।" *(ख़ुलासतुल आरिफीन, सफ़ा 47, 48)*

17. **"हज़रत ख़्वाजा नूर मुहम्मद साहिब बदायूनी रहमतुल्लाहि त'आला ने अपने ख़लीफ़ा हज़रत मिर्ज़ा जान जाना रहमतुल्लाहि त'आला को नसीहत फरमाई कि अक़ीदा-ए-अहले सुन्नत व जमाअत को लाज़िम पकड़ो।"** *(हालाते मशाइख़े नक़्शबंदिया, सफ़ा 247)*

18. हज़रत ख़्वाजा अब्दुल अज़ीज़ दब्बाग़ रदियल्लाहो त'आला अन्हु ने फ़रमाया:

"किसी इंसान के लिए विलायत का दरवाज़ा नहीं खुल सकता जब तक कि वो अहले सुन्नत व जमाअत के अक़ीदे पर न हो। अल्लाह त'आला का कोई वली विलायत में क़दम रखने से पहले अहले सुन्नत व जमाअत के खिलाफ़ हो तो विलायत का दरवाज़ा खुलने के बाद उस पर वाजिब होगा कि उस अक़ीदे से तौबा करे और अहले सुन्नत व जमाअत के अक़ीदे की तरफ लौटे।" *(अल-अबरीज़, सफ़ा 24)*

19. **"अल्लामा इस्माईल बिन इब्राहीम ने हकीम अबू अहमद रहमतुल्लाहि त'आला को बादे विसाल ख़्वाब में देखा और पूछा: कौन सा फिर्क़ा अक्सर नजात (कामयाबी) पाने वाला है? तो फ़रमाया: अहले सुन्नत व जमाअत।"** *(शरहुस सुदूर, सफ़ा 380)*

20. मख़दूमुल औलिया, हज़रत ख़्वाजा बाक़ी बिल्लाह कुद्दिसा सिर्रुहु ने फ़रमाया: हमारे तरीक़े का दरोमदार तीन बातों पर है:

    1. अहले सुन्नत व जमाअत के अक़ाइद पर क़ाइम रहना।
    2. दवामे आगाही (हमेशगी)।
    3. इबादत।

    लिहाज़ा अगर किसी शख़्स की इन चीज़ों में किसी एक में ख़लल आ जाए तो वो हमारे तरीक़े से ख़ारिज हो जाता है। *(हालाते मशाइख़े नक़्शबंदिया, सफ़ा 293)*

21. हज़रत मिर्ज़ा जान जाना कुद्दिसा सिर्रुहु ने फ़रमाया: अक़ीदा-ए-अहले सुन्नत व जमाअत का मुस्तलज़िम होकर हदीस व फ़िक़्ह सीखना चाहिए। *(हालाते मशाइख़े नक़्शबंदिया, सफ़ा 293)*

नोट: ये फरमूदात उन हस्तियों के हैं जिन पर पूरे आलम-ए-इस्लाम को एतिमाद है। तमाम सलासिल (क़ादरी , चिश्ती , नक्शबंदी, सोहरवर्दी) के मशाइख, औलिया, तमाम मज़ाहिब (हनफ़ी, साफाई, मलिकी, हंबली) के उलमा **अहले सुन्नत** से वाबस्तगी का हुक्म फरमा रहे हैं। अब आख़िर में कि ऐसी शख्सियत की वसीयत लिख दूं जिस पर जिद्दत पसंद नई पौड़ को एतिमाद है।

डॉ. इक़बाल मरहूम ने अपने बेटे जावेद इक़बाल को नसीहत की कि अहले सुन्नत व जमाअत के साथ वाबस्ता रहें और अहले बैत से मुहब्बत करना अपना शिआरे ज़िंदगी बनाए रखना। *(नवाए वक़्त, 22 ज़िल्हिज्जा, 1402 हिजरी)*

हमने अवाम को अहले सुन्नत से वाबस्तगी के बारे में काफ़ी असबाब जमा करके दिए हैं। इसके बावजूद अगर कोई क़िस्मत का मारा अहले सुन्नत से निकल कर किसी बदमज़हब से ताल्लुक़ जोड़ता है तो क़यामत में पछताएगा, जहां किसी क़िस्म का पछतावा काम न आएगा।

इन्ही अहले सुन्नत के अक़ाइद व मसाइल की तफ़्सील अर्ज़ कर दूं ताकि ज़िंदगी अहले सुन्नत के अक़ाइद व मामूलात पर बसर हो।

अक़ाइद-ए-तौहीद

(अल्लाह के बारे में अक़ाइद)

1. **अक़ीदा** : अल्लाह त'आला एक है। उसका कोई शरीक नहीं, न ज़ात में, न सिफ़ात में, न अफ़आल (काम) में, न अहकाम (हुक्म) में, न अस्मा में, न कोई नबी, न कोई वली।

2. **अक़ीदा** : वो ज़ात वाजिबुल वुजूद है, यानी हमेशा से है, अज़ली है और हमेशा रहेगा, अबदी है।

3. **अक़ीदा** : अल्लाह त'आला की ज़ात का इदराक (मुकम्मल जानना) मुहाल है, हां इज्मालन (*मुख़्तसर तौर पर*) अफ़आल (*क़ुदरत*) के ज़रिए से सिफ़ात और सिफ़ात के ज़रिए से ज़ात का इल्म हो सकता है।

4. **अक़ीदा** : अल्लाह त'आला हमारा माबूद है, उसके सिवा कोई भी इबादत के लायक़ नहीं।

5. **अक़ीदा** : वो हय्य व क़य्यूम है, वो हमेशा से है और हमेशा ही रहेगा, उसकी हस्ती फ़ना होने वाली नहीं।

6. **अक़ीदा** : सारी दुनिया को वही क़ाइम रखे हुए है, सब उसी के सहारे चल रहे हैं, लेकिन खुद उसे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं।

7. **अक़ीदा** : उसे न ऊंघ आती है, न नींद, वो हर दम सब की हिफ़ाज़त करता है और हर लम्हा हर चीज़ पर नज़र रखता है।

8. **अक़ीदा** : ज़मीनों आसमान में जो कुछ है, उसी का है, उसके सिवा सारी दुनिया का कोई असली (ज़ाती) मालिक नहीं।

9. **अक़ीदा** : उसके आगे किसी को दम मारने की मजाल नहीं, उसकी इज़्न (इजाज़त) के बग़ैर उसके सामने कोई सिफ़ारिश करने का हौसला नहीं कर सकता, इसलिए अंबिया व औलिया मख़्लूक़ के लिए शफी (सिफ़ारिश करने वाले) हैं कि उन्हें अल्लाह ने इज़्ने शफाअत बख़्शा है।

10. **अक़ीदा** : उसे कायनात की हर चीज़ का हर इल्म है, कोई चीज़ उससे छिपी नहीं और उसके इल्म से बाहर नहीं, ये इल्म उसका ज़ाती, दाइमी (हमेशा), बिल इस्तिक़्लाल (बिना किसी के बताए खुद से) है।

11. **अक़ीदा** : हमारा इल्म भी उसी का बख़्शा हुआ है, किसी की क्या मजाल कि उसकी मर्ज़ी के बग़ैर कुछ मालूम कर सके, अंबिया औलिया जो उलूम जानते हैं, वो उसी के दिए हुए हैं।

12. **अक़ीदा** : उसकी क़ुदरत ज़मीन और आसमानों पर ग़ालिब है, उसकी हुकूमत कायनात के एक एक ज़र्रे पर है और कोई शै उसके फरमान से बाहर नहीं।

13. **अक़ीदा** : वो सारी दुनिया की हिफ़ाज़त से नहीं थकता, वो अपनी ज़ात व सिफ़ात में सबसे ऊंचा है, वो अज़मत वाला है, उसकी शान का कोई जवाब नहीं।

14. **अक़ीदा** : ख़ुदा त'आला का दीदार दुनियावी ज़िंदगी में हुज़ूर ﷺ के बग़ैर कोई नहीं कर सकता, मगर आख़िरत में हर मुसलमान दीदार करेगा।

15. **अक़ीदा** : ख़ुदा त'आला किसी को अपने इल्मे ग़ैब पर मुत्तला (बा ख़बर) नहीं फरमाता, मगर अपने प्यारे मक़बूल और पसंदीदा रसूलों में से जिन को चुन लेता है, यानी उन्हें इल्मे ग़ैब अता करता है।

अक़ाइदे रिसालत

(तमाम रसूलों और पैग़म्बरों पर ईमान है)

1. **अक़ीदा** : अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर वही (*वो पैग़ाम जो अल्लाह त'आला की तरफ से नबियों को मिलता है*) होना ज़रूरी है, ख़्वाह फ़रिश्ते के ज़रिए से हो या बग़ैर ज़रिए के।

2. **अक़ीदा** : अंबिया अलैहिमुस्सलाम मासूम (*यानी हर सग़ीरा व कबीरा गुनाह से पाक*) होते हैं, अल्लाह त'आला इनको हर गुनाह से मुनज़्ज़ा रखता है।

3. **अक़ीदा** : अंबिया अलैहिमुस्सलाम के सिवा कोई मासूम नहीं, ख़्वाह वली, गौस, क़ुत्ब, अब्दाल, औताद हों, हां महफ़ूज़ (*यानी गुनाह हो सकता है, लेकिन अल्लाह फ़ौरन रुजू की तौफ़ीक़ असीमत फरमा देता है*) ज़रूर हैं।

4. **अक़ीदा** : अंबिया अलैहिमुस्सलाम तमाम मख़्लूक़ से अफ़ज़लो आला हैं, जो किसी ग़ैर नबी, वली, गौस, क़ुत्ब वग़ैरह को इनसे अफ़ज़लो आला या बराबर जाने, वो काफ़िर है।

5. **अक़ीदा** : अंबिया अलैहिमुस्सलाम की तज़ीम व तौक़ीर फ़र्ज़ है, जो किसी नबी की बे-अदबी और गुस्ताख़ी करे या झूठा कहे, वो काफ़िर है, इसलिए हम अहले सुन्नत तमाम गुस्ताख़ाने रसूल को काफिरो मुर्तद और बेदीन समझते हैं।

6. **अक़ीदा** : तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम अल्लाह त'आला के नज़दीक इज़्ज़त व हुरमत वाले हैं, जो ये कहे कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम अल्लाह त'आला की शान के आगे चमार की मिस्ल या ज़लील हैं, वो काफ़िर है।

   (***जैसे तक़्वीयतुल ईमान में मुसन्निफ़ इस्माईल देहलवी ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम को चमार कह दिया गया***)।

7. **अक़ीदा** : अंबिया अलैहिमुस्सलाम अपनी क़ब्रों में ज़िंदा हैं, खाते पीते हैं और जहां चाहते हैं आते जाते हैं।

8. **अक़ीदा** : अंबिया अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह त'आला इल्मे ग़ैब अता करता है और औलिया-ए-किराम को भी बावस्ता-ए-अंबिया इल्मे ग़ैब अता किया जाता है।

9. **अक़ीदा** : अंबिया और औलिया अल्लाह त'आला के इज़्न और इजाज़त से मख़्लूक़ के मददगार, फ़रियादरस, हाज़तरवा और वसीला हैं।

10. **अक़ीदा** : अल्लाह त'आला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपना ख़लीफ़ा बनाया और तमाम चीज़ों के अस्मा का इल्म अता फ़रमाया।

11. **अक़ीदा** : हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले नबी हैं और तमाम इंसानों के बाप हैं, ख़ुदा त'आला ने इनको बग़ैर मां बाप के पैदा फ़रमाया।

12. **अक़ीदा** : अंबिया और औलिया हमारी आवाज़ों को सुनते हैं और हमारे हालात से बाख़बर हैं, मौत ने उनके कमालाते सिमा (सुनने की ताक़त) और इल्म को मिटाया नहीं, बल्कि बढ़ाया है।

13. **अक़ीदा** : किसी नबी की अदना तौहीन व गुस्ताख़ी कुफ़्र है।

14. **अक़ीदा** : अल्लाह त'आला ने अपने हबीब ﷺ को कसीर इल्मे ग़ैब अता फ़रमाया है, सरकार के इल्मे ग़ैब को जानवरों और पागलों से तश्बीह देना रसूलुल्लाह ﷺ की सरीह गुस्ताख़ी (कुफ़्र) है। (जैसा कि हिफ़्ज़ुल ईमान में लिखा गया है)।

15. **अक़ीदा** :तमाम अंबिया के अज्साम उनकी क़ब्रों में सलामत हैं, रसूलुल्लाह ﷺ के मुताल्लिक (संबंध में) ये कहना कि वो मर कर मिट्टी में मिल गए हैं, रसूलुल्लाह ﷺ की तौहीन (कुफ़्र) और बद-दीनी है। (***जैसा कि तक़्वीयतुल ईमान में मुसन्निफ़ इस्माईल देहलवी ने लिखा हुज़ूर मर कर मिट्टी में मिल गए, पेज 72***)।

अक़ाइद दरबारे रिसालत माब ﷺ

1. **अक़ीदा** : आका-ए-नामदार, मदनी ताजदार, हुज़ूर पुर नूर, मुहम्मद मुस्तफा ﷺ तमाम रसूलों के सरदार हैं।

2. **अक़ीदा** : हुज़ूर ﷺ को अल्लाह त'आला ने सबसे पहले अपने नूरे मुबारक से पैदा फ़रमाया।

3. **अक़ीदा** : हुज़ूर ﷺ सरापा नूर और बे मिस्ल बशर हैं।

4. **अक़ीदा** : हुज़ूर ﷺ अल्लाह त'आला के नाइबे मुतलक़ और ख़लीफ़ा-ए-आज़म हैं। (दीगर अंबिया आपके वसीले से अल्लाह के नाइब हैं)।

5. **अक़ीदा** : हुज़ूर ﷺ अगर पैदा न होते तो अल्लाह त'आला दुनिया की कोई चीज़ पैदा न फरमाता। (जैसा कि हदीस-ए-लौलाक से साबित है)।

6. **अक़ीदा** : हुज़ूर ﷺ क़यामत के दिन अल्लाह त'आला के इज़्न (इजाज़त) से अपनी गुनहगार उम्मत की शफाअत करेंगे, शफाअत का मुनकिर गुमराह व बेदीन है।

7. **अक़ीदा** : हुज़ूर ﷺ हैंवानात (जानवरों), मलाइका, हूरो गिलमां (जन्नत के ख़ूबसूरत बाशिंदे जो जन्नतीयों की ख़िदमत पर मामूर होंगे), जिन्नों, इंस बल्कि तमाम कायनात के लिए रहमत हैं,

जैसा कि अल्लाह त'आला ने फ़रमाया:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

(तर्जमा) : और हमने तुम्हें न भेजा मगर रहमत सारे जहान के लिए।

(पारा 17, सूरतुल अंबिया, आयत 107)

8. **अक़ीदा** : अल्लाह त'आला की रज़ा हुज़ूर ﷺ की रज़ा है और हुज़ूर ﷺ की रज़ा अल्लाह त'आला की रज़ा है।

9. **अक़ीदा** : हुज़ूर ﷺ की इताअत अल्लाह त'आला की इताअत है और हुज़ूर ﷺ की बे-अदबी व गुस्ताख़ी अल्लाह त'आला की बे-अदबी और गुस्ताख़ी है।

10. **अक़ीदा** : अल्लाह त'आला ने शब-ए-इस्रा के दुल्हा, हज़रत मुहम्मद मुस्तफा ﷺ को हालाते बेदारी में शब-ए-मेराज करवाई, जो न माने वो गुमराह है।

11. **अक़ीदा** : अल्लाह त'आला ने हुज़ूर ﷺ को जो कुछ हो चुका है और जो कुछ क़यामत तक होना है, उन सब का इल्म बता दिया है, इसे इल्मे ग़ैबे कुल्ली कहा जाता है।

12. **अक़ीदा** : हुज़ूर ﷺ जब चाहें, जहां चाहें तशरीफ़ ले जा सकते हैं और लाते रहते हैं, ख़ुशबख़्त लोगों को ख़्वाब और बेदारी में ज़ियारत होती रहती है।

13. **अक़ीदा** : हुज़ूर ﷺ अपनी क़ब्र-ए-अनवर में ज़िंदा हैं, हमारी आवाज़ सुनते हैं और जवाब देते हैं और दुखी उम्मत की मुश्किल भी हल फ़रमाते हैं।

14. **अक़ीदा** : हुज़ूर-ए-अकरम ﷺ की तज़ीम जिस तरह ज़ाहिरी ज़िंदगी में फ़र्ज़ थी, अब भी इस तरह फ़र्ज़ है।

15. **अक़ीदा** : हुज़ूर ﷺ ख़ातमुन नबीयीन हैं, यानी आपके बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता, आप के बाद जो भी किसी को नबी माने, वो काफ़िर है।

16. **अक़ीदा** : हुज़ूर ﷺ तमाम मख़्लूक़ से अफ़ज़ल हैं, जो कमालात दूसरों को नसीब होते हैं, वो आप में हैं।

17. **अक़ीदा** : जो हुज़ूर ﷺ के किसी क़ौल और फ़ेइल को हक़ारत से देखे, वो काफ़िर और वाजिबुल क़त्ल है।

18. **अक़ीदा** : हुज़ूर ﷺ के नाम-ए-नामी इस्मे गिरामी के साथ में शॉर्टकट में दुरूद लिखना नाजायज़ व गुनाह है, पूरा दुरूद लिखना चाहिए।

इसकी पूरी तहक़ीक़ फ़क़ीर के रिसाले "कराहते सलाम" में देखें।

19. **अक़ीदा** : हुज़ूर ﷺ के दुश्मनों से अदावत रखनी चाहिए, अब चाहे बाप हो, बेटा हो, भाई हो, बहन हो या कोई ख़ानदान का हो या कोई और।

20. **अक़ीदा** : हुज़ूर ﷺ अल्लाह त'आला के मज़्हरे अतम (ये हुज़ूर का एक लक़ब है, पूरा तमाम बयान करने वाला) हैं, इसलिए आपको हाज़िर नाज़िर मानना चाहिए कि आपके कमालात में से ये भी एक कमाल है।

अक़ाइदे ख़िलाफ़त

(हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक़, हज़रत उस्मान ग़नी, हज़रत अली)

1. **अक़ीदा** : 1 हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़, 2 हज़रत उमर फ़ारूक़, 3 हज़रत उस्मान ग़नी, 4 हज़रत मौला अली रदियल्लाहो त'आला अन्हुम बित तरतीब फ़ज़ीलत वाले हैं और इसी तरतीब के साथ इनकी ख़िलाफ़त भी है।
2. **अक़ीदा** : चारों ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन के बाद बाक़िया अशरा-ए-मुबश्शरा व हसनैन करीमैन व अस्हाबे बद्र व अस्हाबे बैते रिज़वान अफ़्ज़ल सहाबा हैं।
3. **अक़ीदा** : किसी भी सहाबी के साथ बद-अक़ीदगी रखना गुमराही है, मसलन सैय्यदुना अमीर मुआविया, हज़रत अबू सुफ़ियान, हज़रत हिंदा, हज़रत अम्र बिन अल-आस, हज़रत मुग़ीरा बिन शुऐबा, हज़रत अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहो त'आला अन्हुम ऐसे ही हज़रत वहशी, जिन्होंने हज़रत हम्ज़ा को शहीद किया, लेकिन वो इस्लाम लाने से पहले का वाक़िया था, इस्लाम लाने के बाद बड़े ख़बीस और मलऊन मुसैलमा कज़्ज़ाब को वसीले जहन्नम किया, इनमें से किसी की शान में गुस्ताख़ी करना बुरा है और इसका क़ाइल (करने वाला) राफ़िज़ी और काफ़िर है।
4. **अक़ीदा** : सहाबा-ए-किराम के दरमियान जो वाक़ियात हुए हैं, उन में पड़ना हराम, हराम सख़्त हराम है, मुसलमानों को तो ये देखना चाहिए कि वो सब अपने आका व मौला पुर नूर मुहम्मद मुस्तफा ﷺ के आशिक परवाने और सच्चे ग़ुलाम थे।
5. **अक़ीदा** : अहले बैते इज़ाम और सहाबा-ए-किराम नबी न थे और न रसूल थे, न फ़रिश्ते थे कि मासूम हों, इनमें से बाज़ से अगर कुछ लग़्ज़िशें भी हुईं तो इन पर गिरिफ़्त करना अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के खिलाफ़ है। सूर-ए-हदीद में अल्लाह त'आला ने सहाबा-ए-किराम के हक़ में साफ़ एलान फरमा दिया:

كُلًّا وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى

(तर्जमा) :**सबसे अल्लाह ने भलाई का वादा फरमा लिया।**

(पारा 10, सूरतुल हदीद, आयत 10)

अल्लाह त'आला ने जब उनके तमाम आमाल जान कर उन सब के लिए जन्नत और करामत व सवाब का वादा फरमा लिया है तो फिर किसी दूसरे को क्या हक़ रहा कि उनकी किसी बात पर तान करे, लिहाज़ा हमारा मुत्तफ़िक़ा अक़ीदा है कि तमाम सहाबा-ए-किराम जन्नती हैं, फ़रिश्ते उनका इस्तक़बाल करेंगे कि ये दिन है कि जिसका तुम से वादा किया गया था।

ये जो बाज़ जाहिल कहते हैं कि जब हज़रत अली के साथ हज़रत अमीर मुआविया का नाम लिया जाए तो "रदियल्लाहो त'आला अन्हो" न कहा जाए, ये ख़याल बातिल है, उलमा ने तमाम सहाबा-ए-किराम के नाम के साथ रदियल्लाहो त'आला अन्हो कहने का मुतलक़न हुक्म दिया है।

हज़रत अमीर मुआविया रदियल्लाहो त'आला अन्हो अव्वल मलूके इस्लाम हैं, इसी तरह तौरात में इशारा है और अहादीस-ए-मुबारका में भी मौजूद है कि नबी-ए-आख़िरुज़्ज़मा मक्का में पैदा होंगे, मदीना को हिजरत फरमाएंगे और उनकी सल्तनत शाम में होगी, इससे साबित हुआ कि हज़रत अमीर मुआविया की बादशाही अगरचे सल्तनत है मगर वो दर हक़ीक़त मुस्तफा ﷺ की ही सल्तनत है।

हज़रत इमामे हसन रदियल्लाहो त'आला अन्हो ने एक लश्करे जरार के साथ बा इख़्तियार होते हुए भी आए मैदाने जंग में हथियार रख दिए और ख़िलाफत हज़रत अमीर मुआविया के सुपुर्द कर दी और उनके हाथ पर बैअत फरमाई और इस सुलह को हुज़ूर ﷺ ने पसंद फ़रमाया और इसकी बशारत आपने कई साल पहले दी थी कि

"मेरा बेटा सैय्यद है और उम्मीद करता हूं कि अल्लाह त'आला इसके बाइस मुसलमानों के दो बड़े गिरोह में सुलह करा दे।" *(सहीह बुख़ारी, किताब अस-सुलह, हदीस 2557)*

हज़रत अमीर मुआविया रदियल्लाहो त'आला अन्हो पर माअज़ अल्लाह फिस्क़ वग़ैरा का तान करने वाला हज़रत इमाम हसन रदियल्लाहो त'आला अन्हो पर तान करता है बल्कि हुज़ूर ﷺ पर तान करता है, यही नहीं बल्कि खुद अल्लाह त'आला पर भी तान करता है।

6. **अक़ीदा** : हज़रात हसनैन करीमैन रदियल्लाहो त'आला अन्हुमा यक़ीनन आले दर्जे के शहीद हैं, इनकी शहादत का मुनकिर गुमराह और बद-दीन है।

7. **अक़ीदा** : यज़ीद पलीद फासिको फाजिर था, उसे और नवासा-ए-रसूल हज़रत इमाम हुसैन से क्या निस्बत

हम अपनी ज़ुबान से यज़ीद को काफ़िर भी नहीं कहते और मुसलमान भी नहीं कहते, क्योंकि इस सिलसिले में हमारे इमाम-ए-आज़म का मस्लक "सुकूत" है (यानी हम उसे फासिको फाजिर के सिवा काफ़िर कहें न मुसलमान)। तफ़्सील के लिए फक़ीर की किताब शरहे हदीस-ए-क़ुस्तुंतुनिया देखें।

8. **अक़ीदा** : उम्मुल मोमिनीन हज़रत ख़दीजा और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा रदियल्लाहो त'आला अन्हुमा क़तई (यक़ीनी) जन्नती हैं, इन्हें बाक़िया तमाम अज़्वाज-ए-मुतह्हरात और सहाबियात पर फ़ज़ीलत हासिल है, इनकी तहारत की गवाही क़ुरआन ने दी है, जो इन्हें इज़ा (तकलीफ) देता है वो रसूलुल्लाह ﷺ को इज़ा देता है, चुनांचे इन पर तान करने वाला राफ़िज़ी और जहन्नमी है।

9. **अक़ीदा** : हुज़ूर-ए-अकरम ﷺ के वालिदैन करीमैन ऐसे ही ता आदम अलैहिस्सलाम जुमला आबा व उम्महात (वालिदैन) मोमिन थे, तफ़्सील व तहक़ीक़ फक़ीर की किताब "अबवाइने मुस्तफा" में है।

10. **अक़ीदा** : इमाम महदी रदियल्लाहो त'आला अन्हो का ज़ुहूर हक़ है, लेकिन इस तरह के वो अपने ज़माने में मां बाप से पैदा होंगे जो कि बाद में एलान करेंगे, ऐसा नहीं कि वो अब ज़िंदा हैं।

अक़ाइद-ए-विलायत

1. **अक़ीदा** : विलायत एक क़ुरबे ख़ास है जो रब त'आला अपने फ़ज़्लो करम से अपने ख़ास बरगुज़ीदा (नेक) बंदों को अता फरमाता है।
2. **अक़ीदा** : विलायत इबादत व रियाज़त के ज़ोर से हासिल नहीं की जा सकती, ये महज़ रब की रज़ा पर मुन्हसिर (निर्भर) है, अलबत्ता आमाले सलीहा (नेकी) ज़रिया साबित हो सकते हैं, बाज़ को विलायत मां के पेट में ही हासिल हो जाती है।
3. **अक़ीदा** : उम्मत में सबसे ज़्यादा मारिफ़ते इलाही व क़ुरब हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ को, फिर हज़रत उमर फ़ारूक़, फिर हज़रत उस्मान, फिर हज़रत मौला अली को दर्जा बा दर्जा हासिल है, हां मर्तबा-ए-तकमील पर हुज़ूर-ए-अकरम ﷺ ने जानिबे कमालाते नुबूवत शैखैन को फ़रमाया और जानिबे कमालाते विलायत हज़रत मौला अली को, तो जुमला औलिया मा बाद ने मौला अली के घर से ये नेअमत पाई है और सब इन्ही के दस्ते नगर थे और रहेंगे।
4. **अक़ीदा** : तरीक़त मनाफ़ी-ए-शरीअत नहीं, वो शरीअत ही का बातिनी हिस्सा है, बाज़ जाहिल और सूफ़ी कह देते हैं कि शरीअत और है, तरीक़त और है, ये सरासर गुमराही है, इस तरह शरीअत से खुद को आज़ाद समझना खुला हुआ कुफ़्र और इल्हाद है।
5. **अक़ीदा** : कोई वली कैसा ही अज़ीम हो अहकाम (हुक्म)ए शरईया से आज़ाद नहीं हो सकता, बाज़ सरफ़ीरे जो ये कह देते हैं कि शरीअत रास्ता है, रास्ते की हाज़त उनको है जो मक़सूद तक न पहुंचे, हम तो पहुंच गए, हज़रत जुनैद बग़दादी ने इसका जवाब दिया कि: बेशक वो पहुंच गए मगर कहां? जहन्नम में, अलबत्ता अगर मज्ज़ूबियत की वजह से अक़्ल ज़ाइल (ख़त्म) हो गई तो और बात है मगर फिर भी मज्ज़ूब शरीअत का मुक़ाबला कभी न करेगा।
6. **अक़ीदा** : औलिया-ए-किराम को अल्लाह ने बहुत बड़ी ताक़त दी है, उनमें जो अस्हाबे ख़िदमत हैं उनको करामत का इख़्तियार दिया जाता है, वो सियाह व सफ़ेद के मुख़्तार बना दिए जाते हैं, ये हज़रात नबी-ए-करीम ﷺ के सच्चे नाइब होते हैं, इनमें बहुत से "मा काना व मायकून" (जो हो चुका है और जो होगा) और तमाम लौहे महफ़ूज़ पर मुत्तला होते हैं।
7. **अक़ीदा** : करामते औलिया हक़ है और इसका मुनकिर गुमराह है, मुर्दे ज़िंदा करना, मदरज़ाद अंधे और कुड़ी को शिफा देना, मशरिक से मग़रिब तक सारी

ज़मीन एक क़दम में तय कर जाना, ग़र्ज़ तमाम ख़्वारिक़े आदत (अक़्लो से बालातर करामत) औलिया से मुमकिन है सिवाए मोजिज़ात के जिनकी बाबत दूसरों के लिए मुमानत साबित हो चुकी है।

8. **अक़ीदा** : औलिया अल्लाह से मदद मांगना महबूब है, ये मदद मांगने वाले की मदद फ़रमाते हैं, रहा औलिया अल्लाह को फाइले हक़ीक़ी (ज़ाती मदद करने वाला) और फाइले मुस्तक़िल (हमेशा मदद करने वाला) जानना ये ग़लत है, मुसलमान कभी ऐसा नहीं करता।

9. **अक़ीदा** : औलिया अल्लाह के मज़ारात पर हाज़िरी बाइसे बरकत व सवाब है।

10. **अक़ीदा** : औलिया-ए-किराम अपनी क़ब्रों में हयाते अबादी (हमेशा की ज़िंदगी) के साथ ज़िंदा हैं, इनमें सोचने समझने, सुनने और देखने की सलाहियत पहले से बहुत ज़्यादा मज़बूत हो जाती है।

11. **अक़ीदा** : औलिया-ए-किराम को दूरो नज़दीक से पुकारना सुलहा का तरीक़ा है।

12. **अक़ीदा** : इन्हें इसाले सवाब करना निहायत ही मुस्तहसन और बाइसे हसनात व बरकात है, जिसे अदब से हम नज़्रो नियाज़ कहते हैं, ख़ुसूसन ग्यारहवीं शरीफ की फातिहा निहायत अज़ीमुल बरकत है।

13. **अक़ीदा** : उर्स औलिया-ए-किराम यानी क़ुरआनख़्वानी व नातख़्वानी वाज़ और फातिहा ख़्वानी निहायत ही उम्दा चीज़ें हैं, अलबत्ता मुन्हियात-ए-शरईया हर हालत में मज़मूम हैं और मज़ारात-ए-मुक़द्दसा पर और ज़्यादा मज़मूम।

14. **अक़ीदा** : औलिया-ए-किराम तक़दीर तब्दील कर सकते हैं, हां तक़दीरे मुब्रम, मुतलक़ बिल्कुल न बदलती है, न वो इसके बदलने का अल्लाह त'आला को अर्ज़ करते हैं।

मुब्रम: ये एक आख़िरी फैसला होता है जो अल्लाह त'आला की तरफ से लौहे महफ़ूज़ पर लिख दिया जाता है, इसमें तब्दीली नहीं होती।

अक़ाइद दरबारे मलाइका-ए-किराम

1. **अक़ीदा** : फ़रिश्ते अज्सामे नूरी हैं, मासूम हैं और हर तरह के गुनाह से पाक हैं, रब त'आला ने मुख़्तलिफ़ ख़िदमतें इनके सुपुर्द की हैं, जो शक्ल चाहें इख़्तियार कर लें, कभी वो इंसान की शक्ल में भी ज़ाहिर होते हैं।

2. **अक़ीदा** : किसी फ़रिश्ते के हक़ में अदना सी गुस्ताख़ी भी कुफ़्र है, जाहिल लोग किसी दुश्मन को देख कर कहते हैं कि इज़राईल या मौत का फ़रिश्ता आ गया, ये कुफ़्र के करीब है।

3. **अक़ीदा** : फ़रिश्तों के वुजूद का सिरे से इनकार करना या ये कहना कि फ़रिश्ता नकी की क़ुव्वत को कहते हैं, ऐसा कहना कुफ़्र है।

4. **अक़ीदा** : फ़रिश्ते अल्लाह त'आला के ईमानदार मुकर्रम बंदे हैं, उसकी नाफरमानी कभी नहीं करते और जो हुक्म होता है वही करते हैं, हर क़िस्म के गुनाह से मासूम हैं, उनके जिस्म नूरानी हैं और वो न कुछ खाते हैं न पीते हैं, हर वक़्त अल्लाह त'आला की इबादत में रहते हैं।

5. **अक़ीदा** : वो जुदागाना अलग अलग कामों पर मुक़र्रर हैं, बाज़ जन्नत पर, बाज़ दोज़ख़ पर, बाज़ आदमियों के अमल लिखने पर, बाज़ रोज़ी पहुंचाने पर, बाज़ पानी बरसाने पर, बाज़ मां के पेट में बच्चे की सूरत बनाने पर, बाज़ आदमियों की हिफ़ाज़त पर, बाज़ रूह क़ब्ज़ करने पर, बाज़ क़ब्र में सवाल करने, बाज़ अज़ाब पर, बाज़ रसूलुल्लाह ﷺ के दरबार में मुसलमानों के सलाम पहुंचाने पर, बाज़ अंबिया अलैहिमुस्सलाम की वही लाने पर।

6. **अक़ीदा** : मलाइका को अल्लाह त'आला ने बड़ी क़ुव्वत अता फरमाई है, वो ऐसे काम कर सकते हैं जिसे लाखों आदमी मिल कर भी नहीं कर सकते, इनमें चार फ़रिश्ते बहुत फ़ज़ीलत रखते हैं, हज़रत जिब्राईल, हज़रत मिकाईल, हज़रत इस्राफ़ील, हज़रत इज़राईल अलैहिमुस्सलाम।

7. **अक़ीदा** : **रसूल** फ़रिश्ते, तमाम औलिया यहां तक कि जुमला सहाबा-ए-किराम मा सिद्दीके अकबर रदियल्लाहो त'आला अन्हो से अफ़्ज़ल हैं, उनके सिवा बाक़ी तमाम मलाइका से औलिया-ए-किराम अफ़्ज़ल हैं।

अक़ाइदे बरज़ख़

(याद रहे कि दुनिया व आख़िरत के दरमियान रूहों के जहां को बरज़ख़ कहते हैं)

1. **अक़ीदा** : मरने के बाद मुसलमान की रूह हस्बे मर्तबा मुख़्तलिफ़ मक़ामों में रहती हैं, बाज़ की क़ब्र में, बाज़ की ज़मज़म के कुएं में, बाज़ की आसमान व ज़मीन के दरमियान, बाज़ की पहले आसमान पर, बाज़ की दूसरे और सातवें आसमान तक, बाज़ की आसमानों से भी बुलंद और बाज़ पाक रूहें (ज़ेरे अर्श) अर्श के नीचे क़िंदीलों में और बाज़ की आला इल्लियीन में रहती हैं, मगर कहीं हो, रूह का ताल्लुक़ अपने जिस्मो के साथ भी ज़रूर क़ाइम रहता है जिस तरह हयाते दुनियावी में क़ाइम था, बल्कि इससे भी ज़्यादा, बदन की हर राहत व लज़्ज़त रूह को पहुंचती है, इसके इलावा रूह के लिए ख़ास अपनी राहत व ग़म के अलग असबाब हैं।
2. **अक़ीदा** : काफिरों की ख़बीस रूहें अपने मरघट (हिंदुओं के मुर्दे जलाने की जगह) या क़ब्र में रहती हैं, बाज़ की चाहे बरहूत में के यमन के यमन में एक नाला है, बाज़ की पहली, दूसरी, सातवीं ज़मीन तक, बाज़ की इससे भी नीचे सिज्जीन में, वो कहीं भी हो जो उनकी क़ब्र या मरघट पर गुज़रे, उसे देखती पहचानती और बात सुनती हैं, मगर कहीं आने जाने का इख़्तियार नहीं, क्योंकि वो क़ैद में हैं।
3. **अक़ीदा** : ये अक़ीदा रखना कि मरने के बाद रूह किसी दूसरे आदमी या जानवर के बदन में चली जाती है, जिसे "तनासुख" "आवागावन" कहलाता है, जो क़तई बे-बुनियाद और कुफ़्र है।
4. **अक़ीदा** : अज़ाबे क़ब्र हक़ है और क़ब्र की राहत भी हक़ है, दोनों रूह और जिस्म पर हैं, जिस्म अगरचे जल जाए, ख़ाक हो जाए पर जिस्म के आज़ा-ए-अस्लिया क़यामत तक बाक़ी रहेंगे, वो मोरिदे अज़ाबो सवाब होंगे, उन्हीं पर रोज़े क़यामत तरकीबे जिस्म फरमाई जाएगी।

वो रीढ़ की हड्डी में ऐसे बारीक अज्ज़ा हैं जिन्हें अजबुज़ ज़ुनूब कहते हैं, न किसी खुर्दबीन से नज़र आ सकते हैं, न इसे आग जला सकती है और न

ज़मीन इन्हें गला सकती है, वो गोया बदन का बीज हैं, लिहाज़ा क़यामत के रोज़ रूहो का वापस जिस्म में लौटना इसी में होगा।

5. **अक़ीदा** : नबियों, वलियों, आलिमों, हाफ़िज़ों और शहीदों को जो मंसबे मुहब्बत पर फ़ाइज़ रहे क़ुरआन शरीफ़ पर अमल करते रहे और दुरूद शरीफ़ का विर्द करते रहे, उनके बदन को मिट्टी नहीं खा सकती, इसके बर ख़िलाफ़ जो शख्स अंबिया-ए-किराम की शान में ये कलिमा-ए-कुफ्र कहे कि वो मर कर मिट्टी में मिल गए हैं, वो गुमराह, मुर्तकिबे तौहीन और ख़बीस है।

6. **अक़ीदा** : मौत यही है कि रूह जिस्म से जुदा हो जाए, लेकिन जुदा हो कर फ़ना नहीं हो जाती, दफ़्न के बाद क़ब्र मुर्दे को दबाती है, जब दफ़्न करने वाले दफ़्न कर के वापस चले जाते हैं तो मुर्दा उनके जूतों की आवाज़ सुनता है, उसके बाद फ़रिश्ते ज़मीन चीरते आते हैं, उनकी सूरतें डरावनी, आंखें नीली, काली और एक का नाम मुनकर और दूसरे का नाम नकीर है, वो मुर्दे को उठा कर बैठाते हैं और उससे सवाल करते हैं:

1. तेरा रब कौन है?
2. तेरा दीन क्या है?
3. **अक़ीदा** : हुज़ूर ﷺ की तरफ इशारा कर के पूछते हैं कि तू इनके बारे में क्या कहता था?

मुसलमान जवाब देता है कि मेरा रब अल्लाह है,

मेरा दीन इस्लाम है और

ये मुहम्मद ﷺ अल्लाह के रसूल हैं,

फ़रिश्ते कहते हैं कि हम जानते थे कि तू यही जवाब देगा, फिर उसकी क़ब्र फ़राख़ और रौशन कर दी जाती है, आसमान से एक मुनादी निदा (आवाज़) देता है: मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नती फ़र्श बिछाओ, जन्नती लिबास पहनाओ, ज़न्नती दरवाज़े खोलो, जन्नत की दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जिनसे जन्नत की हवा और ख़ुशबू आती रहती है और फ़रिश्ते उससे कहते हैं कि तू अब आराम कर।

7. **अक़ीदा** : काफ़िर इन सवालों का जवाब नहीं दे सकता और हर सवाल के जवाब में कहता है कि मैं नहीं जानता, आसमान से निदा (आवाज़) करने वाला निदा (आवाज़) करता है कि ये झूठा है, इसके लिए आग का बिछौना बिछाओ, आग का लिबास पहनाओ और दोज़ख़ की तरफ दरवाज़ा खोल दो, उसे दोज़ख़ की गर्मी और लपट आती है, फिर उस पर फ़रिश्ते मुक़र्रर कर दिए जाते हैं जो लोहे के बड़े बड़े गुर्ज़ों से मारते हैं और अज़ाब करते रहते हैं।

8. **अक़ीदा** : क़ब्र में हर मुर्दे को रसूलुल्लाह ﷺ की ज़ियारत नसीब होती है, अहले ईमान आपको पहचान लेते हैं, काफ़िर मुनाफिक़ नहीं पहचान सकेंगे।

9. **अक़ीदा** : हश्र सिर्फ रूह का नहीं बल्कि रूह और जिस्म दोनों का होगा, जो न माने काफ़िर है।

10. **अक़ीदा** : दुनिया में जो रूह जिस जिस्म के साथ मुताल्लिक (संबंधित) थी, हश्र उसी जिस्म में होगा, रोज़े हश्र हिसाब ज़रूर होगा, हिसाब का मुनकिर काफ़िर है, अलबत्ता तहज्जुद पढ़ने वाले बिला हिसाब जन्नत में जाएंगे, जन्नत दोज़ख़ हक़ हैं, इनका इनकार करने वाला काफ़िर है, क़ब्र में फ़रिश्तों के सवालात और मरने के बाद क़यामत के दिन ज़िंदा होना बर हक़ है।

11. **अक़ीदा** : अज़ाबे क़ब्र काफिरों और बाज़ गुनहगार मोमिनों को होगा।

12. **अक़ीदा** : अल्लाह त'आला अपने फरमाबरदार बंदों के लिए क़ब्र में नेअमतें नाज़िल फरमाता है, हराम को हलाल कहने वाला और हलाल को हराम कहने वाला काफ़िर है।

क़यामत बर हक़ है और महशर में बरगाहे हक़ त'आला में आमाल का हिसाब होता है, नेकी और बुराई वालों को बदला मिलता है।

मुख़्तलिफ़ अक़ाइद व मसाइल:

1. **अक़ीदा** : अंबिया-ए-किराम के मोजिज़ात बरहक़ हैं, इनका मुनकिर काफ़िर है और औलिया-ए-किराम की करामात बरहक़ हैं।
2. **अक़ीदा** : तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम के बाद हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक़, हज़रत उस्मान ग़नी, हज़रत मौला अली रदियल्लाहो त'आला अन्हुम बित तरतीब फ़ज़ीलत वाले हैं और इसी तरतीब के साथ इनकी ख़िलाफ़त भी है।
3. **अक़ीदा** : हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से उतरना बरहक़ है।
4. **अक़ीदा** : फ़राइज़ का इनकार करने वाला काफ़िर है।
5. **अक़ीदा** : अल्लाह त'आला की रहमत से ना उम्मीद होना कुफ़्र है।
6. **अक़ीदा** : मीलाद शरीफ़ की महफ़िल मुन'अक़िद करना और क़ियाम व सलाम जाइज़ है।
7. **अक़ीदा** : अब्दुन नबी, अब्दुल मुस्तफा, अब्दुर रसूल, अब्दुल अली नाम रखना जाइज़ है।
8. **अक़ीदा** : हुज़ूर ﷺ का नाम-ए-नामी इस्मे गिरामी सुन कर दोनों अंगूठे चूम कर आंखों से लगाना मुस्तहब है।
9. **अक़ीदा** : औलिया अल्लाह के हाथ पांव चूमना, उनके तबर्रुकात को बोसा देना और उनकी तज़ीम करना मुस्तहब है।

अंबिया-ए-किराम के मरातिब में फ़र्क़ है, बाज़ के रुत्बे बाज़ से आला हैं, सबसे बड़ा मर्तबा हमारे नबी, आका ﷺ का है, आप आख़िरी नबी हैं, अल्लाह त'आला ने नुबूवत का सिलसिला आप पर ख़त्म फरमा दिया है, हुज़ूर ﷺ के ज़माने में और आपके बाद किसी को नुबूवत नहीं मिल सकती।

जो हुज़ूर ﷺ के बाद किसी को नुबूवत मिलना जाइज़ समझे, वो काफ़िर हो जाता है, तमाम अंबिया को जो कमालात जुदा जुदा इनायत हुए, वो सब अल्लाह त'आला ने हुज़ूर ﷺ की ज़ाते आली में जमा फरमा दिए और हुज़ूर ﷺ के ख़ास कमालात बहुत ज़ाइद हैं, हुज़ूर ﷺ अल्लाह के महबूब हैं, ख़ुदा की राह

अंबिया ही के ज़रिए मिलती है और इंसान की नजात (कामयाबी) का दरोमदार उन्ही की फरमाबरदारी में है।

मोजिज़ा: वो अजीबो ग़रीब काम जो आदतन नामुमकिन हो, जैसे मुर्दों को ज़िंदा करना, इशारे से चांद को दो टुकड़े कर देना, उंगलियों से चश्मे जारी करना, ऐसी बातें अगर नुबूवत का दावा करने वाले से उसकी ताईद (सपोर्ट) में ज़ाहिर हो, उनको मोजिज़ा कहते हैं।

मोजिज़ात अंबिया से बहुत ज़ाहिर होते रहते हैं और ये उनकी नुबूवत की दलील है, मोजिज़ात की वजह से आदमी का दिल नबी की सच्चाई का यक़ीन कर लेता है कि जिसके हाथ से क़ुदरत की ऐसी निशानियां ज़ाहिर होती हैं और जिन के मुक़ाबिल सब लोग आजिज़ो हैरान हैं, ज़रूर वो ख़ुदा का भेजा हुआ है, चाहे ज़िद्दी दुश्मन न माने पर दिल यक़ीन कर ही लेता है और अक़्ल वाले ईमान ले आते हैं, कोई झूठा नुबूवत का दावा कर के हरगिज़ मोजिज़ा नहीं दिखा सकता, क़ुदरत उसकी ताईद (सपोर्ट) नहीं फरमाती।

हमारे हुज़ूर ﷺ के मोजिज़ात बहुत हैं, सबसे ज़्यादा मशहूर मेराज शरीफ़ का मोजिज़ा है, हुज़ूर रात के थोड़े से हिस्से में मक्का-ए-मुअज़्ज़मा से बैतुल मुक़द्दस तशरीफ़ ले गए, वहां अंबिया अलैहिमुस्सलाम की इमामत फरमाई, बैतुल मुक़द्दस से आसमानों पर तशरीफ़ ले गए और अल्लाह त'आला के क़ुरब का वो मर्तबा पाया कि कभी किसी इंसान, फ़रिश्ते, नबी या रसूल ने नहीं पाया था, ख़ुदावंदे आलम का जमाल-ए-पाक अपनी मुबारक आंखों से देखा, कलामे इलाही सुना, आसमानों ज़मीन के तमाम मुल्क मुलाहिज़ा फरमाए, जन्नतों की सैर की, दोज़ख़ का मुआइना फ़रमाया, मक्का-ए-मुअज़्ज़मा से बैतुल मुक़द्दस तक राह में जो क़ाफ़िले मिले थे, सुबह को उनके हालात बयान फरमाए।

अक़ाइदो मसाइल (मुदल्लल)

ग़ैब का इल्म

अक़ीदा : अल्लाह त'आला ने अंबिया व औलिया को बहुत उलूमे ग़ैबिया (ग़ैब का इल्म) बिल ख़ुसूस हमारे नबी पाक ﷺ को उलूमे कुल्ली से नवाज़ा है, क़ुरआनो हदीस में इसके काफ़ी सुबूत मौजूद हैं।

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ ,

(तर्जमा) : **ग़ैब का जानने वाला तो अपने ग़ैब पर किसी को मुसल्लत नहीं करता, सिवाए अपने पसंदीदा रसूलों के।** (क़ुरआन: पारा 29, सूरतुल जिन्न, आयत 26, 27)

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ

(तर्जमा) : **और सिखा दिया तुम्हें, जो कुछ तुम न जानते थे।**

(क़ुरआन, पारा 5, सूरतुल निसा, आयत 113)

अहादीस शरीफ

1. हज़रत सैय्यदुना उमर फ़ारूक़ रदियल्लाहो त'आला अन्हु से मरवी है:

तर्जुमा: हमारे नबी-ए-पाक ﷺ ने हम में खड़े हो कर मख़्लूक़ की इब्तिदा से ले कर जन्नतीयों और दोज़ख़ियों के अपनी अपनी मंज़िलों में दाखिल होने तक की हमको ख़बर दी, याद रखा उस को जिसने याद रखा और भुला दिया जिसने भुला दिया। *(सहीह बुख़ारी, 3/1166, हदीस: 3020)*

2. हज़रत हुज़ैफ़ा रदियल्लाहो त'आला अन्हु से मरवी है कि हम में रसूलुल्लाह ﷺ ने खड़े हो कर उस मक़ाम पर ही आपने क़यामत तक होने वाली किसी चीज़ को न छोड़ा मगर उसे बयान फ़रमाया, तो इसको जिस शख़्स ने याद रखा तो याद रखा और जिसने भुला दिया तो भुला दिया। *(सहीह मुस्लिम, 4/2217, हदीस: 5147)*

3. हज़रत अबू ज़ैद रदियल्लाहो त'आला अन्हु से मरवी है कि रसूले करीम ने हमें फज्र की नमाज़ पढ़ाई और मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हो कर ख़ुत्बा दिया, यहां तक कि वक़्ते ज़ुहर हो गया, फिर मिंबर से उतर कर आपने नमाज़े ज़ुहर पढ़ाई, फिर मिंबर पर जलवा अफ़रोज़ हो कर हमें ख़ुत्बा फ़रमाया, यहां तक

कि वक़्ते अस्र हो गया, फिर उतर कर नमाज़े अस्र पढ़ाई, फिर मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हो कर ख़ुत्बा दिया, यहां तक कि आफ़ताब ग़ुरूब हो गया, तो रसूले पाक ﷺ ने जो कुछ हो गया था और जो कुछ होने वाला था, सबकी ख़बर दी। *(सहीह मुस्लिम, 4/2217, हदीस: 5149)*

मुख़्तारे कुल:

अक़ीदा : अल्लाह त'आला ने अपने फ़ज़्लो करम से अंबिया-ए-इज़ाम व औलिया-ए-किराम को बहुत से इख़्तियारात से नवाज़ा है, बिलख़ुसूस हमारे नबी-ए-पाक ﷺ को मुख़्तारे कुल बनाया है।

अल्लाह त'आला फरमाता है:

وَمَا نَقَمُوْۤا اِلَّاۤ اَنْ اَغْنٰىهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ

(तर्जुमा कंज़ुल ईमान) : और उन्हें क्या ही बुरा लगा, यही न कि अल्लाह व रसूल ने उन्हें अपने फ़ज़्ल से ग़नी कर दिया। *(पारा 10, सूरतुल तौबा, आयत नंबर 74)*

फिर फरमाता है:

وَلَوْ اَنَّهُمْ رَضُوْا مَاۤ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ ۙ وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ سَيُؤْتِيْنَا اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَ
رَسُوْلُهٗۤ اِنَّاۤ اِلَى اللّٰهِ رٰغِبُوْنَ

(तर्जुमा कंज़ुल ईमान) : और क्या अच्छा होता अगर वो उस पर राज़ी होते जो अल्लाह व रसूल ने उनको दिया और कहते हमें अल्लाह काफ़ी है, अब देता है अल्लाह हमें अपने फ़ज़्ल से और अल्लाह का रसूल हमें अल्लाह की तरफ रग़बत है। *(पारा 10, सूरतुल तौबा, आयत नंबर 59)*

हदीस: नबी-ए-पाक ﷺ ने इरशाद फ़रमाया: इब्ने जमील को यही नगवार हुआ कि वो फक़ीर था, अल्लाह और उसके रसूल ने उसको ग़नी कर दिया। *(सहीह बुख़ारी, 2/534, हदीस: 1399)*

सरवारे कौनो मकान, नबी ﷺ ने इरशाद फ़रमाया: जिसे हमने किसी काम पर मुक़र्रर फ़रमाया, पस हमने उसे रिज़्क़ दिया। *(सुनन अबू दाऊद, 3/134, हदीस: 2943)*

अल्लाह त'आला ने इरशाद फ़रमाया:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ

(तर्जुमा कन्ज़ुल ईमान) : लड़ो उन से जो ईमान नहीं लाते अल्लाह पर और क़यामत पर और हराम नहीं मानते उस चीज़ को जिस को हराम किया अल्लाह और उसके रसूल ने। *(पारा 10, सूरतुल तौबा, आयत नंबर 29)*

अहादीस-ए-मुबारका

सैय्यदुल कायनात, रहमते आलम ﷺ अपने सहाबा के हमराह मदीना-ए-तैय्यबा के यहूद के पास तशरीफ़ ले गए, तो उनको दावते इस्लाम देते हुए फ़रमाया:

अये यहूदियों के गिरोह, इस्लाम लाओ, सलामत रहोगे, जान लो कि तहक़ीक़ ज़मीन के मालिक अल्लाह त'आला और उसके रसूल हैं और बेशक मैं तुम को इस ज़मीन से जिला वतन करता हूं, जो शख्स तुमसे अपने माल से कोई पाए तो वो उसे बेच डाले। *(सहीह बुख़ारी, 6/2675, हदीस: 6916)*

सरवारे आलम ﷺ का फरमान है: बेशक मुझे तमाम ज़मीन के ख़ज़ानों की कुंजियां दी गई हैं, फिर मेरे हाथ में रखी गई हैं। *(सहीह बुख़ारी, 6/2654, हदीस: 6845)*

अक़्वाल

जिस शख्स ने गुमान किया कि नबी-ए-करीम ﷺ दूसरे लोगों की तरह किसी चीज़ के बिल्कुल मालिक नहीं हैं और न आपके साथ ज़ाहिरी और बातिनी नफा है, तो वो काफ़िर है, दुनिया व आख़िरत में ख़सारे वाला है।

(किताब हाशिया अस-सावी अला तफ़्सीर अल-जलालैन, तहत अल-आयात सूरत आले इमरान: 148)

नबी-ए-करीम मुश्किल कुशा बि इज़्निल्लाह

अल्लाह त'आला का फरमान है:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ
فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا

(तर्जुमा कंजुल ईमान) : **"और अगर जब वो अपनी जानों पर ज़ुल्म करें तो अये महबूब तुम्हारे हुज़ूर हाज़िर हों और फिर अल्लाह त'आला से माफ़ी चाहें और रसूल उन की शफाअत फरमाए तो ज़रूर अल्लाह को बहुत तौबा क़बूल करने वाला और मेहरबान पाएं।"** (पारा 5, सूरतुल निसा, आयत 64)

फ़रमाया:

أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ

(तर्जुमा कंजुल ईमान) : जिसे अल्लाह ने नेअमत दी और तुम ने उसे नेअमत दी। *(पारा 22, सूरतुल अहज़ाब, आयत 37)*

अक़ीदा-ए-सहाबी

अब्दुल्लाह बिन मसऊद रदियल्लाहो त'आला अन्हु से मरवी है कि आप अपने ग़ुलाम को मार रहे थे, तो वो "औज़ू बिल्लाह" कहता था, यानी मैं अल्लाह त'आला से पनाह मांगता हूं, रावी कहते हैं कि आप उसे मारते रहे, तो उसने कहा कि "औज़ू बिरसूलिल्लाह" यानी मैं रसूलुल्लाह से पनाह मांगता हूं, तो अब्दुल्लाह बिन मसऊद ने उसे छोड़ दिया। *(सहीह मुस्लिम, 3/1281, हदीस 3137)*

क़ुरआनी हदीस से साबित हुआ कि नबी-ए-करीम ﷺ मुसलमानों के लिए जाए पनाह और मुश्किल कुशा हैं।

हाज़िरो नाज़िर

अल्लाह त'आला फरमाता है:

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ

(तर्जुमा कंजुल ईमान) : ये नबी मुसलमानों का उनकी जान से ज़्यादा मालिक हैं और इसकी बीवियां उनकी माएं हैं। *(पारा 21, सूरतुल अहज़ाब, आयत 6)*

फरमाता है:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

(तर्जुमा कंजुल ईमान) : “अये ग़ैब की ख़बरें बताने वाले (नबी), बेशक हमने तुम्हें भेजा हाज़िरो नाज़िर और ख़ुशख़बरी देता और डर सुनाता और अल्लाह की तरफ उसके हुक्म से बुलाता और चमका देने वाला आफ़ताब। *(पारा 21, सूरतुल अहज़ाब, आयत 45, 46)*

लुग़वी तहक़ीक़: शाहिद का तर्जुमा हाज़िर नाज़िर बेहतरीन तर्जुमा है, मुफ़्रिदाते राग़िब जो कि अरबी लुग़त की मशहूर किताब है, उस में है:

शुहूद और शहादत का माना हाज़िर होना मा नाज़िर होने के बस्र के साथ हो या बसीरत के साथ। *(तफ़्सीरे तबरी, सफ़ा 24)*

अहादीस-ए-मुबारका: रसूले पाक ﷺ का इरशाद-ए-मुबारक है: जिसने मुझे ख़्वाब में देखा, अनक़रीब वो मुझे हालाते बेदारी में देखेगा। *(सहीह बुख़ारी, 6/2567, हदीस: 6592)*

(तर्जुमा) : एक दूसरे मक़ाम पर आप ﷺ ने फ़रमाया कि मैं हर मोमिन के साथ उसकी जान से भी ज़्यादा क़रीब हूं। *(सुनन निसाई, 4/66, हदीस: 1962)*

क़ुरआनो हदीस से वाज़ेह हो गया कि नबी-ए-अकरम, नूरे मुजस्सम ﷺ हाज़िरो नाज़िर हैं।

इस्तेमदाद अज़ अंबिया

अल्लाह त‘आला इरशाद फरमाता है:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ

(तर्जुमा कंजुल ईमान) : तो बेशक अल्लाह उनका मददगार है और जिब्रील और नेक ईमान वाले और इसके बाद फ़रिश्ते मदद पर हैं। *(पारा 28, सूरतुल तहरीम, आयत 4)*

फरमाता है:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

तुम्हारे दोस्त नहीं मगर अल्लाह और उसका रसूल और ईमान वाले के नमाज़ क़ाइम करते हैं और ज़कात देते हैं और अल्लाह के हुज़ूर झुके हुए हैं। *(पारा 6, सूरतुल माइदा, आयत 55)*

अहादीस-ए-मुबारका

1. सरवारे कायनात, नूरे मुजस्सम, शफीए मुअज़्ज़म ﷺ ने फ़रमाया है कि मुल्क-ए-शाम में 40 मर्द अब्दाल होंगे, जब एक इंतक़ाल कर जाए तो अल्लाह त'आला उसकी जगह अब्दाल मुक़र्रर फरमा देगा, उनकी वजह से बारिश होती है, दुश्मनों पर फ़तह हासिल होती है, अहले शाम से अज़ाब दफ़ा हो जाता है। *(मसनद इमाम अहमद, 1/112, हदीस: 898)*

2. सरवारे कायनात ﷺ ने फ़रमाया:

जब मदद तलब करने का इरादा हो तो कहो: अये अल्लाह के बंदो, मेरी मदद फरमाओ, अये अल्लाह के बंदो, मेरी मदद फरमाओ, अये अल्लाह के बंदो, मेरी मदद फरमाओ। *(मिरक़ातुल मफातीह, 4/1693)*

फायदा: इस हदीस शरीफ की रौशनी में, या रसूलल्लाह, या सिद्दीक़, या उमर, या उस्मान, या अली, या हसन, या हुसैन, या गौस, या फ़रीद, या मुईन कहना बिल्कुल दुरुस्त है, बल्कि इरशाद-ए-नबवी की तकमील है।

3. नबी-ए-मुख़्तार, हज़रत मुहम्मद ﷺ ने इरशाद फ़रमाया:

जब ज़ुहर की नमाज़ पढ़ लो तो खड़े हो कर यूं कहना: हम रसूलुल्लाह ﷺ से मदद चाहते हैं, मोमिनीन पर अपनी औरतों और बच्चों के बारे में। *(सुनन निसाई, 6/263)*

4. ख़ातिमुल अंबिया ﷺ का फरमान है:

अल्लाह और उसका रसूल उसके मौला और निगेहबान हैं, जिसका कोई मौला और निगेहबान न हो। (सुनन तिर्मिज़ी, 4/367, हदीस: 2103)

वहाबियों का अक़ीदा : है ग़ैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है ये अकीदा क़ुरआन के खिलाफ़ है जो इस आयत से साबित है जब अल्लाह फिरिश्तों, अंबिया और औलिया को मदद का जरिया बनाया है तो ये अक़ीदा रखना की फिरिश्तों, अंबिया और औलिया से मदद मांग सकते है जो क़ुरआन की रौशनी में है यह जायंज और सही ही है

बे मिस्ल बशरियत

अल्लाह त'आला फरमाता है:

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ

(तर्जुमा कंजुल ईमान) : रसूल के पुकारने को आपस में ऐसा न ठहरा लो जैसे तुम में एक दूसरे को पुकारते हो। *(पारा 18, सूरतुल नूर, आयत 63)*

फायदा: जब रसूलुल्लाह ﷺ को एक दूसरे की तरह पुकारने से अल्लाह करीम ने मुमानत फरमा दी है तो एक दूसरे की मिस्ल समझना कैसे जाइज़ होगा?

अल्लाह त'आला ने नबी-ए-करीम ﷺ की अज़्वाज को सारे कायनात की औरतों से बे मिस्ल क़रार दिया है, फरमाता है:

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ

(तर्जुमा कंजुल ईमान) : अये नबी की बीवियों! तुम और औरतों की तरह नहीं हो। *(पारा 22, सूरतुल अहज़ाब, आयत नंबर 32)*

जिस रसूले मुअज़्ज़म के निकाह में आ जाने की वजह से अज़्वाज-ए-मुतह्हरात सारी दुनिया की औरतों से बे मिस्ल हो जाएं तो वो रसूले मुकर्रम ﷺ खुद सारी दुनिया में बे मिस्ल क्यों न होंगे? यक़ीनन हैं, सरवारे कौनो मकान, सैयाहे ला मकान, मुहम्मद मुस्तफा ﷺ ने खुद अपने सहाबा-ए-किराम को

फ़रमाया: "अय्युकुम मिस्ली?" यानी तुम में मेरी मिस्ल कौन है? मैं तुम्हारे किसी आदमी की मानिंद नहीं, मैं तुम्हारी मिस्ल नहीं हूं। *(सहीह बुख़ारी)*

क़ुरआनी आयते तय्यिबात और अहादीस-ए-शरीफ़ा की रौशनी से मालूम हुआ कि सरवारे कायनात, अहमदे मुज्तबा, मुहम्मद मुस्तफा ﷺ की बशरियत सारे कायनात में बे मिस्ल बशरियत है।

सवाल: अहले सुन्नत व जमाअत नबी-ए-पाक ﷺ को नूर भी मानते हैं और बशर भी, क्या ये कभी हो सकता है कि एक ही शख्सियत नूर भी हो और बशर भी?

जवाब: मलाइका-ए-किराम के बारे में सब का इत्तेफ़ाक़ है कि वो मुजस्सम नूर हैं, लेकिन क़ुरआनो हदीस से उनका बशरी लिबास में होना साबित है, जैसे कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का बशरी हालत में वही ले कर आना साबित है और जिब्रीले अमीन दह्या कलबी रदियल्लाहो त'आला अन्हु की सूरत में हाज़िर होते थे, तो इन दीन के मुहज़्ज़ब डाकुओं से कोई पूछे कि जिब्रीले अमीन फ़रिश्ते हैं, नूरी हैं, जब वो बशरी लिबास में बरगाहे रिसालत में हाज़िर होते थे तो हज़रत दह्या कलबी की सूरत में हाज़िर होते थे या हज़रत मरयम अलैहिस्सलाम के पास बशर बन कर आए थे, तो क्या वो उस वक़्त नूर थे या नहीं? उसकी नूरानियत का इनकार कोई इस हालत में कर सकता है? बिल्कुल नहीं, जब जिब्रीले अमीन बशर बन कर आए तो उसको नूर भी और बशर दोनों तस्लीम करते हुए आप लोगों को गिरां नहीं गुज़रता, हालांकि जिब्रीले अमीन प्यारे नबी ﷺ के उम्मती भी हैं, ग़ुलाम और ख़ादिम भी हैं, तो उस ख़ादिम को तो नूर और बशर दोनों तस्लीम करो और उनके आका बल्कि कायनात के आका ﷺ (जिन का कलिमा पढ़ते हो) उनको नूर और बे मिस्ल बशर मानते हुए कौन सी चीज़ माने हैं? बुग़्ज़ और कीना है तो महबूब ﷺ से!

नूर मिनल्लाही नूर ﷺ

अल्लाह त'आला ने फ़रमाया:

مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَّكِتَابٌ مُّبِينٌ

(तर्जुमा कंजुल ईमान) : "बेशक अल्लाह त'आला की तरफ से तुम्हारे पास एक नूर आया और रौशन किताब।" *(पारा 6, अल-माइदा, आयत 15)*

फिर फरमाता है:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا

(तर्जुमा कंजुल ईमान) : "अये ग़ैब की ख़बरें बताने वाले नबी! हमने तुम्हें भेजा हाज़िरो नाज़िर और ख़ुशख़बरी देता और डर सुनाता और अल्लाह की तरफ उसके हुक्म से बुलाता और चमका देने वाला आफ़ताब"। *(पारा 22, सूरतुल अहज़ाब, आयत 45, 46)*

फायदा: अल्लाह त'आला ने हबीब-ए-पाक ﷺ को नूर और चमका देने वाला आफ़ताब फ़रमाया है, जिससे सरवारे आलम ﷺ की नूरानियत वाज़ेह है।

अहादीस-ए-मुबारका

हुज़ूर ﷺ का इरशाद-ए-मुबारक है:

सबसे पहले अल्लाह त'आला ने जो चीज़ पैदा फरमाई, वो मेरा नूर था।

(तफ़्सीरे निशापुरी, 8/55, तफ़्सीरे आराइसुल बयान, 1/238, तफ़्सीरे रूहुल बयान, 1/548, तफ़्सीरे हुसैनी, सफ़ा 140, ज़ुरक़ानी शरीफ़, 1/27, मदारिजुन नुबूव्वह, 2/2, जवाहिरुल बिहार, 72)

हदीस-ए-मज़कूरा कुतुबे तफ़ासीर व कुतुबे अहादीस में मौजूद हैं, नमूना की चंद मिसालें हाज़िर हैं:

मवाहिबे लदुनिया में है कि नबी ﷺ ने इरशाद फ़रमाया कि अये जाबिर! अल्लाह त'आला ने बेशक सब अश्या से पहले तेरे नबी का नूर अपने नूर से पैदा फ़रमाया। *(मवाहिबे लदुनिया, 1/9, ज़ुरक़ानी, 1/46, सीरते हलबिया, 1/37, नश्रुत तीब, सफ़ा 5)*

हयातुन नबी ﷺ

अल्लाह त'आला फरमाता है:

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ

(तर्जुमा कंजुल ईमान) : "और जो ख़ुदा की राह में मारे जाएं, उन्हें मुर्दा न कहो, बल्कि वो ज़िंदा हैं, हां तुम्हें ख़बर नहीं। *(पारा 2, सूरतुल बक़रह, आयत नंबर 154)*

रसूलुल्लाह ﷺ ने इरशाद फ़रमाया: बेशक अल्लाह त'आला ने ज़मीन पर अंबिया के जिस्मों को खाना हराम किया है, अल्लाह त'आला का नबी ज़िंदा है और रिज़्क़ दिया जाता है। *(सुनन इब्ने माजा, 1/524, हदीस: 1637)*

क़ुरआने करीम और हदीस-ए-मुस्तफा से अज़हरुम मिनश शम्स है (यानी सूरज की तरह रौशन और खूब ज़ाहिर है) कि अल्लाह त'आला के सब नबी ज़िंदा हैं।

वसीला

अल्लाह त'आला फरमाता है:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

(तर्जुमा कंजुल ईमान) : " अये ईमान वालो! अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला ढूंढो और उसकी राह में जिहाद करो, इस उम्मीद पर कि फलाह पाओ। (पारा 6, माइदा, आयत नंबर 35)

फिर फरमाता है:

وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا

और इससे पहले वो इसी नबी के वसीले (ज़रिये) से काफ़िरों पर फ़त्ह मांगते थे। *(सूरतुल बक़रह, 89)*

अहादीस-ए-शरीफ़ा: सैय्यदुल मुफ़स्सिरीन, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहो त'आला अन्हुमा फ़रमाते हैं कि कुफ़्फ़ार यहूदी फ़तह हासिल करने के लिए दुआ यूं करते थे: "अये अल्लाह हम तुझसे नबी-ए-उम्मी के वसीले से दुआ करते हैं कि तू हम को इन मुशरिकीन पर फ़तह दे कर मदद फरमा।" *(तफ़्सीर दुर्रे मंसूर, सूरतुल बक़रह 98)*

तबरानी शरीफ़ और दीगर मुस्तनद किताबों में रिवायत दर्ज है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लग़्ज़िश सरज़द हुई तो उन्होंने अल्लाह पाक की बरगाह में वसीले से इस तरह दुआ की:

"अये मेरे परवरदिगार! मुहम्मद मुस्तफा ﷺ के वसीले से मुझे माफ़ फरमा।"

(तबरानी, जिल्द 2, सफ़ा 83, ख़साइसे कुबरा, 1/17, अल-वफ़ा, 1/33, मुस्तद्रक, 2/615, इब्ने असाकिर, 2/357, शवाहिदुल हक़, 137, ज़ुरक़ानी, 1/62, मवाहिबे लदुनिया, 1/12, तफ़्सीरे अज़ीज़ी, 73, अफ़्ज़लुस सलात सफ़ा 117, इब्ने माजा, सफ़ा 119)

फायदा: हमने इस हदीस के हवाले बा कस्रत इसलिए लिखे हैं ताकि मुनकिर को इनकार की गुंजाइश न हो।

हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब अपनी क़ौम के लिए दुआ फरमाई तो यूं फरमाई:

"अल्लाही अस्अलुका अन तुन्सिरनी अलैहिम बिनूरि मुहम्मद" (रिसालह अस-सुनतैन फिल रद्द अलल मुब्तदिअन अल-वहाबियीन, सफ़ा 24)

सय्यिदुन उस्मान गनी रदियल्लाहु त'आला अन्हू के दौर-ए-खिलाफत का वाक़िया है जो कि सरकार-ए-उस्मान गनी ने खुद एक नबीना सहाबी को हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहिवस्सलम के वसीले से दुआ मांगने का तरीका बताया। वो तरीका और दुआ यह है:

यानी ऐ अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूं और वसीला तलाश करता हूं और तेरी तरफ मुतवज्जेह होता हूं तेरे नबी सल्लल्लाहो अलैहिवस्सलम के ज़रिए से जो नबी-ए-रहमत हैं। ऐ अल्लाह मैं आपके ज़रिए से अपने रब की तरफ इस हाजत के बारे में मुतवज्जेह होता हूं ताकि मेरी हाजत पूरी हो।

इलाही इनकी शफाअत मेरे हक में क़बूल फरमा। *(अल-मोजमुल कबीर लिल तबरानी, 9/30, हदीस 8311)*

फायदा: कुरआन और सुन्नत की रौशनी में मालूम हुआ कि वसीला जाइज़ है।

बे-साया रसूल ﷺ

हज़रत ज़कवान रदियल्लाहु त'आला अन्हू से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहिवस्सलम का साया सूरज और चांद की रौशनी में नहीं था। इब्ने सबा ने कहा है कि सूरज और चांद की रौशनी में जब आप चलते तो आपका साया ज़मीन पर नहीं पड़ता था क्योंकि आप नूर थे। *(खसाइसे कुबरा, 1/2, मवाहिबे लदुनिया, ज़ुरक़ानी)*

तफ़्सीर-ए-मदारिक सूरह नूर की तफ़्सीर में है कि सय्यिदुन उस्मान गनी रदियल्लाहु त'आला अन्हू का बयान है कि नबी-ए-पाक सल्लल्लाहो अलैहिवस्सलम के जिस्म में अतहर का साया नहीं था। (शरह ज़ुरक़ानी अलल मवाहिब, 5/525)

हदीस से बीस रकात तरावीह का सुबूत

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु त'आला अन्हू से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहिवस्सलम रमज़ान शरीफ में हमेशा बीस रकात नमाज़ और वित्र पढ़ते थे। *(मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा, 2/164, हदीस 7692)*

हज़रत साइब बिन यज़ीद रदियल्लाहु त'आला अन्हू से मरवी है कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु त'आला अन्हू के ज़माने में रमज़ान शरीफ में बीस रकात पढ़ते थे। *(सुनन अल-कुबरा अल-बैहकी, 2/496, हदीस 4801)*

अक्सर अहले इल्म इस पर आमिल हैं जो हज़रत अली और हज़रत उमर रदियल्लाहु त'आला अन्हुमा और इनके अलावा नबी-ए-पाक के असहाब से बीस रकात रिवायत की गई हैं और यही सुफ़ियान सौरी, इब्ने मुबारक और इमाम शाफ़ई का क़ौल है और इमाम शाफ़ई ने फ़रमाया है कि अपने शहरों में मक्का-ए-मुअज़्ज़मा में मैंने पाया कि वो बीस रकात पढ़ते थे। मज़ीद तफ़्सील व तहक़ीक फ़क़ीर की किताब "बीस तरावीह सुन्नत" में पढ़ें।

ईद मिलादुन नबी ﷺ पर खुशी मनाना

कुरआन-ए-पाक में इरशाद-ए-बारी त'आला है कि:

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ

(तर्जुमा कंजुल ईमान) : तुम फरमाओ अल्लाह ही के फज़्ल और उसी की रहमत और उसी पर चाहिए कि खुशी करें। *(पारा 11, सूरह यूनुस, आयत 58)*

और यक़ीनन सरवार-ए-आलम सल्लल्लाहो अलैहिवस्सलम की ज़ात-ए-बा बरकात सबसे बड़ी रहमत है लिहाज़ा इसकी खुशी भी ज़्यादा मनानी चाहिए।

अंगूठे चूमना

अज़ान में हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहिवस्सलम का नाम सुनकर अंगूठे चूमना मुस्तहब है बहवाला फ़िक़्हे हनफी की मशहूर किताब तहतावी शरीफ, सफ़ा 221।

फातिहा का सुबूत

सदक़े से मय्यित को फायदा होता है: हज़रत साद बिन उबादा रदियल्लाहु त'आला अन्हू ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहिवस्सलम मेरी वालिदा का इंतक़ाल हो गया है, कौन सा सदक़ा अफ़्ज़ल है? फ़रमाया: पानी। तो साद ने कुंवा खुदवाया और कहा ये साद की मां के लिए है। *(सुनन अबू दाऊद, 2/130, हदीस 1681)*

अज़ान से पहले दुरूद शरीफ पढ़ना

अल्लाह त'आला फरमाता है:

إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

(तर्जुमा कंजुल ईमान) : बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते दुरूद भेजते हैं उस ग़ैब बताने वाले नबी पर। ऐ ईमान वालो उन पर दुरूद और खूब सलाम भेजो। *(पारा 22, सूरह अहज़ाब, आयत 56)*

फायदा: इस हुक्म में अल्लाह त'आला ने ईमान वालों को सलातो सलाम पढ़ने का हुक्म फ़रमाया है और वक़्त की कोई क़ैद नहीं लगाई लिहाज़ा अज़ान से क़ब्ल पढ़ना भी जाइज़ है।

हदीस-ए-मुबारक

सरवार-ए-आलम सल्लल्लाहो अलैहिवस्सलम का फरमान है:

नेक काम की इब्तिदा अल्लाह त'आला की हम्द और मुझ पर दुरूद पढ़ने से न की जाए तो वो काम बरकतों से खाली है। *(अल-जामिउस सग़ीर, 2/303, हदीस: 8696)*

फायदा: इस हदीस शरीफ को देवबंदियों और ग़ैर मुक़ल्लिदीन अहले हदीस हज़रात के मुसल्लम आलिम इब्ने क़य्यूम ने अपनी किताब जिलाउल अफ़हाम के सफ़ा 261 पर दर्ज किया है।

फायदा: जब हर नेक काम शुरू करने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ना बा बरकत है तो कौन मुसलमान है जो अज़ान को नेक काम नहीं कहता? यक़ीनन सब नेक काम कहते हैं लिहाज़ा अज़ान के वक़्त दुरूद शरीफ पढ़ना जाइज़ है।

नमाज़ के बाद बुलंद आवाज़ से ज़िक्र करना

सय्यिदुल मुफ़स्सिरीन, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु त'आला अन्हुमा से रिवायत है कि फर्ज़ नमाज़ के बाद बुलंद आवाज़ से ज़िक्र करना नबी-ए-पाक सल्लल्लाहो अलैहिवस्सलम के ज़माने में था। (सहीह बुख़ारी, 1/288, हदीस: 805)

नमाज़-ए-जनाज़ा के बाद की दुआ

अल्लाह त'आला फरमाता है:

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ

(तर्जुमा कंजुल ईमान) : जब तुम नमाज़ से फ़ारिग़ हो तो दुआ में मेहनत करो। *(पारा 30, आलम नश्रह, आयत 7)*

इस आयत की तफ़्सीर में कई मुफ़स्सिरीन ने फ़रमाया है: जब तू फर्ज़ नमाज़ से फ़ारिग़ हो जाए तो रब्बे करीम की तरफ दुआ में खड़ा रह और सवाल करने में उसकी तरफ रग़बत कर वो तुझ को अता करेगा। *(मुख्तसर तफ़्सीर अल-बग़वी, 8/160)*

नमाज़-ए-जनाज़ा फर्ज़-ए-किफाया है लिहाज़ा जनाज़ा के बाद दुआ मांगना हुक्म-ए-इलाही है।

अल्लामा मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अबू हम्ज़ा मालिकी शरह बुख़ारी ने हदीस शरीफ नक़ल फरमाई है जिस से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहिवस्सलम का नमाज़-ए-जनाज़ा के बाद दुआ मांगना साबित है। *(बह्जतुन नुफ़ूस शरह सहीह बुख़ारी, 1/171)*

कफ़न पर कलिमा-ए-तैय्यिबा लिखना और क़ब्र में अहद नामा रखना

फ़िक़्हे हनफी की मुस्तनद किताब "दुर्रे मुख्तार" में है:

"मर्द की पेशानी या इमामा या कफ़न पर अहद नामा लिखने से उसके लिए बख़्शिश की उम्मीद है।" *(रद्दुल मुहतार अला दुर्रे मुख्तार, 2/246)*

शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी तहरीर फ़रमाते हैं क़ब्र में शजरा रखना बुज़ुर्गों का तरीक़ा है।

क़ब्र पर फूल डालना

हज़रत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु त'आला अन्हू से मरवी है कि उन्होंने कहा गुज़रे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहिवस्सलम मक्का या मदीना के बाग़ों में से किसी बाग़ में तो दो आदमियों की आवाज़ सुनी कि उन पर क़ब्र में अज़ाब हो रहा है। हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहिवस्सलम ने फ़रमाया इन दोनों पर अज़ाब हो रहा है और किसी बड़ी बात पर नहीं हो रहा है जिससे बचना मुश्किल हो। फ़रमाया इन में एक पेशाब से परहेज़ नहीं करता था और दूसरा

चुगलखोरी करता था। फिर खजूर की एक शाख मंगवा कर दो टुकड़े किए और हर क़ब्र पर एक टुकड़ा रख दिया। सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहिवस्सलम ऐसा क्यों किया? फ़रमाया कि इन दोनों के अज़ाब में तख़फ़ीफ़ हो जब तक ये शाखें खुश्क न हों। *(मिश्कातुल मसाबीह, सफ़ा 110, हदीस 338)*

हदीस व आयात से ये अम्र साबित है कि हर ज़िंदा चीज़ अल्लाह त'आला की तस्बीह करती है। लकड़ी की हयात ये है कि जब तक वो तर है, ज़िंदा है।

इस हदीस पर नज़र कर के क़ब्रों पर फूल डालते हैं ताकि वो तस्बीह करें और मुरदा को फायदा पहुंचे।

इसीलिए फतावा आलमगीरी में है:

क़ब्रों पर फूल और ख़ुशबू रखना अच्छा है।

नज़रो नियाज़

शीरीनी व खाने पर फातिहा व नियाज़ जाइज़ है: हज़रत शाह वलीउल्लाह रहिमहुल्लाह त'आला फतवा तहरीर फ़रमाते हैं कि अगर किसी बुज़ुर्ग के नाम की फातिहा दी जाए तो उसका खाना अमीर लोगों के लिए भी जाइज़ है। *(ज़ुब्दतुन नसाईह, सफ़ा 132)*

हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी का फतवा है वो खाना जिस की नियाज़ का सवाब हज़रात इमामैन को पहुंचाया गया हो और उस खाने पर फातिहा व क़ुल और दुरूद पढ़ा गया हो वो खाना मुतबर्रक हो जाता है और ऐसे खाने को खाना बहुत सवाब है। *(फतावा अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी)*

ख़त्म व दुरूद

खाना सामने रख कर इसाले सवाब करना जाइज़ है।

सहीह मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि हुज़ूर-ए-अकरम ने दुआ मांगी: "ऐ अल्लाह क़बूल फरमा मुहम्मद व आले मुहम्मद और उम्मते मुहम्मद की तरफ से। *(सहीह मुस्लिम, 3/1557, हदीस: 3637)*

जिस तरह ये दुआ या दुआ-ए-अक़ीक़ा पढ़ते वक़्त जानवर सामने होता है उसी तरह सामान पहुंचाते वक़्त खाने को सामने रख कर आयात-ए-कुरआन पढ़ कर मुरदों की रूह को बख़्श देते हैं।

चिराग़ां

मज़ारात और मस्जिद में चिराग़ां करना जाइज़ है।

अल्लामा अस्कलानी फत्हुल बारी शरह बुख़ारी में तहरीर फ़रमाते हैं: हज़रत तमीम दारी अफाज़िल सहाबा में साहिबे मनाकिब सहाबी हैं और वो पहले सहाबी हैं जिन्होंने मस्जिद-ए-नबवी में चिराग़ां किया। (*फत्हुल बारी, 12/46*)

इस की तफ़्सील इस तरह है: अबुल बुराद ग़ुलामे तमीम दारी ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहिवस्सलम की खिदमत में हाज़िर हुए और हम सब तमीम दारी के 5 ग़ुलाम थे। मेरे आक़ा ने मुझे हुक्म दिया तो मैंने मस्जिद-ए-नबवी को ज़ैतून के तेल के चिराग़ों से मुनव्वर किया। इस से पहले खुरमा की लकड़ी जलाती थी। पस हुज़ूर ने दरयाफ़्त फ़रमाया कि हमारी मस्जिद को किसने जगमगाया? तमीम दारी ने कहा मेरे ग़ुलाम ने और मेरी तरफ इशारा कर के मुझे बताया। हुज़ूर-ए-पाक सल्लल्लाहो अलैहिवस्सलम ने मेरा नाम दरयाफ़्त फ़रमाया मैंने अपना नाम "फतह" अर्ज़ कर दिया। इस पर हुज़ूर ने फ़रमाया इसका नाम "सिराज" (यानी चिराग़ है)। *(असदुल ग़ाबा, सफ़ा 81)*

कुब्बा जात बर मज़ारात

तफ़्सीर-ए-रूहुल बयान में है "और सालिहीन की क़ब्रों पर इमारत बनाना और उन पर गिलाफ़ और इमामा और कपड़े चढ़ाना जाइज़ है जबकि उससे मक़सूद ये हो कि अवाम की निगाह में उन की इज़्ज़त हो और लोग उन को हक़ीर न जानें। *(तफ़्सीर रूहुल बयान, 3/400)*

फतावा शामी में है:

यानी फतावा हुज्जा में (क़ब्रों पर दस्तारबंदी के बारे में) इस से अवाम की निगाह में तअज़ीम मक़सूद होता कि वो साहिबे क़ब्र की हक़ारत न करें बल्कि

ग़ाफ़िलो को इससे अदब और ख़ुशू हासिल हो तो जाइज़ है क्योंकि अमल नियत से है। *(रद्दुल मुहतार, 6/363)*

चिराग़ां बर मज़ारात

तफ़्सीर-ए-रूहुल बयान में है:

औलिया व सालिहीन की क़ब्रों के पास क़िंदीलें (चिराग़) रोशन करना और मोमबत्तियां जलाना, उनकी अज़मत के लिए चुनकि उनका मक़सद सही है इसलिए जाइज़ है और औलिया अल्लाह की तरफ से इज़ाज़त है। औलिया की क़ब्रों पर चिराग़ जलाना और उनकी इज़्ज़त का इज़हार करना जाइज़ है, क्योंकि यह उनकी अज़मत और इज्ज़त को दर्शाता है। इससे रोका नहीं जाना चाहिए। *(तफ़्सीर रूहुल बयान, 3/400)*

इन्ही अक़ाइद और मसाइल पर इक्तेफा करते हुए अल्लाह त'आला से दुआ करते हैं कि अहले सुन्नत अवाम को इन्ही अक़ाइद और मसाइल पर पाबंदी नसीब फरमाए और इसी पर हम सब का ख़ातिमा हो।

वस्सलाम

अल-फ़क़ीर अल-क़ादरी मुहम्मद फैज़ अहमद ओवैसी

ईमान व अक़ाइद मज़बूत करने के लिए इन किताबों का मुताअला करे

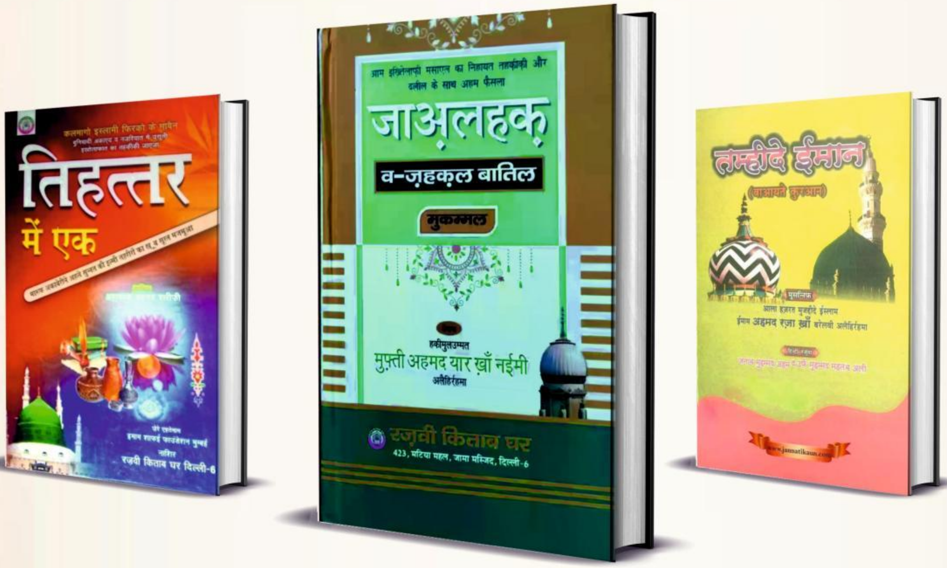

GHAUS O KHWAJA O RAZA TRUST

Allah Ki Raza Ke Liye

GKR Digital PUBLISHER